हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 2011

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 2011

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)22
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(8)37
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(8)38
सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र	(8)38
आरक्षण / वैयक्तिक स्पष्टीकरण संबंधी मामला उठाना	(8)39
समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना	(8)61
(i) पब्लिक आकउंट्स कमेटी की 65वीं रिपोर्ट	
(ii) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एप्रोपिएशन अकाउंट्स/ फाइनैंस अकाउंट्स पर वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 की 66वीं रिपोर्ट	
(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ कमेटी की 57वीं रिपोर्ट	
(iv) वैल्फेयर ऑफ शिडयूल्ड कॉस्ट्स, शिडयूल्ड ट्राईब्ज एंड बैकवर्ड क्लासिज कमेटी की 34वीं रिपोर्ट	
(v) गवर्नमैंट अश्योरैंसिज कमेटी की 40वीं रिपोर्ट	
(vi) एस्टिमेट्स कमेटी की 39वीं रिपोर्ट	

215

मूल्य :

विधान कार्य— (8)63

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 2011

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2011

(iii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2011

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा (8)76

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2011 (पुनरारम्भण) (8)77

(iv) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरी एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2011

(v) दि हरियाणा सैलरीज़ एंड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 2011

(vi) दि पंजाब लैण्ड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2011

(vii) दि हरियाणा फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2011

(viii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कोरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2011

(ix) दि हरियाणा कंटीजैंसी फण्ड (अमैंडमैंट) बिल, 2011

(x) दि पंजाब एक्साइज (अमैंडमैंट) बिल, 2011

(xi) दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैराफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2011

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद (8)97

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 2011

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में सुबह 10.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour.

Bad Condition of Barwala Bus-Stand

***551. Shri Ram Niwas Ghorela :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that the main Bus Stand of Barwala city is in bad condition ; if so, the time by which the condition of the aforesaid Bus Stand is likely to be improved?

परिवहन मंत्री (श्री औम प्रकाश जैन) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री राम निवास घोड़ेला : अध्यक्ष महोदय, बरवाला बस स्टैंड जो कि नैशनल हाईवे पर पड़ता है तथा उसकी बहुत बुरी दुर्दशा है । उसमें बड़े-बड़े कीकर के पेड़ खड़े हैं तथा बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है । उसकी चारदीवारी भी नहीं है । मैं एक बार इस बारे में मंत्री जी से मिला भी था तथा मंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन भी दिया था कि इसकी दशा को जल्दी ठीक करेंगे लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उसकी रिपेयर आदि का काम कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री औम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, बरवाला कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 65 पर हिसार और नरवाना के मध्य स्थित है । यहाँ पर 3 बेज के बस स्टैंड का निर्माण 16,58,800/- रुपये की लागत से हुआ तथा उद्‌घाटन 16-6-1990 में किया गया था । इसका निर्माण 29 कनाल भूमि पर किया गया है जिसकी कीमत 2,53,750/- रुपये थी । बस स्टैंड में 3 दुकानें, एक पुरुष शौचालय और एक महिला शौचालय व विकलांगों के लिए रैम्प बना हुआ है तथापि बरवाला बस स्टैंड की नियमित मुरम्मत और सौंदर्यकरण की आवश्यकता है तथा इस काम के लिए एक लाख रुपये के अनुमानित खर्चे का अनुमोदन कर दिया गया है और यह काम 31-5-2011 तक पूरा हो जायेगा ।

श्री राजपाल भूखरी : अध्यक्ष महोदय, सढौरा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई साल पहले बस स्टैंड के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी और उसका काम भी शुरू हो चुका था । उसका रिवाईज्ड ऐस्टीमेट भी बना था लेकिन वह काम कई सालों से अधूरा पड़ा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि इस बस स्टैंड को शीघ्र पूरा करवाया जाये ताकि वहाँ की जनता की समस्या का समाधान हो सके ।

Mr. Speaker: Mr. Minister, it is a demand.

श्री औम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, हम इसको जल्दी ही पूरा करवा देंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ का जो बस स्टैंड है वह शहर के बीच में आ गया है और वहाँ पर सारा दिन जाम लगा रहता है । इस बारे में मैंने सरकार को पत्र भी लिखा था तथा सरकार ने इसके लिए जमीन की पहचान भी कर ली है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बहादुरगढ़ के बस स्टैंड का बाई-पास पर निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री औम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ जिला झज्जर के नये बस स्टैंड व कर्मशाला के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, हम इसको जल्दी ही बना देंगे ।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, होडल में पहले सब-डिपो था जो खत्म कर दिया गया था । होडल के साथ मेवात और यू.पी. से भी यहाँ पर काफी लोग आते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे इसको दोबारा से बनाने का काम करेंगे ?

श्री औम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, होडल में सब-डिपो बनाने का कोई विचार नहीं है लेकिन हमारे साथी ने आज कहा है तो हम इस बारे में विचार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष: नायर जी, आप लिख कर भिजवा दीजिए ।

चौ. मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हालाँकि पुन्हाना डिस्ट्रिक्ट मेवात में पड़ता है क्या पुन्हाना में कोई बस स्टैंड बनाना सरकार के विचाराधीन है और अगर है तो वह कब तक बन जायेगा और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है?

श्री औम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मेवात में माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिपो बनाने का ऐलान किया था । हम इसको बनायेंगे ।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं डिपो की बात नहीं कर रहा हूं मैं पुन्हाना में बस स्टैंड बनाने की बात कर रहा हूं । इसके न होने की वजह से जनता को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप पुन्हाना हल्के में कहां बस स्टैंड बनवाना चाहते हैं । आप अपने हल्के के किसी गांव में बस स्टैंड बनवाना चाहते हैं या पुन्हाना शहर के अंदर बनवाना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं पुन्हाना शहर की बात कर रहा हूं ।

श्री औम प्रकाश जैन: अध्यक्ष महोदय, ये हमारे बहुत अच्छे साथी हैं मैं इनसे कहूंगा कि ये लिखकर भेज दें, हम इस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे।

Sewerage Lines in Adarsh Nagar

***464. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state —

(a) whether sewerage lines have been laid in Adarsh Nagar, Gohana and ;

(b) if so, when were these lines laid and how much area is being covered by these sewerage lines ?

आबकारी एवं कराधान मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) हां श्रीमान् जी।

(ख) आदर्श नगर में सीवर लाइनें जुलाई, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान बिछाई गई। इन्टरमीडियेट पम्पिंग स्टेशन के निर्माण होने के उपरान्त, ये सीवर लाइनें 31.08.2011 तक चालू कर दी जायेंगी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि नालियों का जो सिवरेज का पानी है वह आज सारे आदर्श नगर में खड़ा है । इस पानी का कोई डिस्पोजल नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि कब तक यह इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन बना दिया जाएगा ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि 216 करोड़ रुपये की लागत का यह प्रोजैक्ट गोहाना में सिवरेज लाईन ले डाउन करने के लिए बनवाया गया है । इसके अंदर दो नये सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट 8.30 करोड़ रुपये के हैं । एक एम.एल.डी. कैपेसिटी का और दूसरा इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन आर्दश नगर के लिए ऐप्रुव किया गया था । एन.सी.आर.डी.डब्ल्यू. के तहत इसके लिए 16 करोड़ रुपये रखे गए हैं जिसमें से 10.62 करोड़ का काम हम आलरेडी पूरा कर भी चुके हैं और बाकी का जो भी काम है, वह 31.3.2012 तक पूरी तरह से हो जाएगा । इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहती हूं कि जो इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन का सिवरेज सिस्टम आर्दश नगर का है वह 31.8.2011 तक फंक्शनल हो जाएगा और टोटल प्रोजैक्ट 2012 तक पूरा हो जाएगा । इसके साथ-साथ मैं यह भी रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगी कि माननीय सदस्य को इसके लिए कांग्रेस सरकार का और मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहिए । इनके गोहाना शहर के अंदर खासतौर से जुलाई, 1999 से लेकर 2005 तक अर्बन वाटर सप्लाई और सिवरेज पर जो एक्सपैंडीचर हुआ है वह केवल 117.29 लाख रुपये हुआ है जबकि पिछले साल के अंदर 5041.85 लाख रुपये यानी पांच गुणा

[श्रीमती किरण चौधरी]

ज्यादा पैसा इनके गोहाना शहर को दिया गया है । सर, 2012 के अंत तक सारे का सारा काम यानी सिवरेज भी ले डाउन हो जाएगा और पम्पिंग स्टेशन का काम भी पूरा हो जाएगा । सर, जिस बात की तकलीफ यह जाहिर कर रहे हैं उसका पूरा समाधान हो जाएगा ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । मुख्यमंत्री जी सारी चीज को संभाल रहे हैं लेकिन आर्दश नगर के बारे में जैसे मैंने बताया कि गलियों में सब जगहों पर पानी खड़ा है । पहले गलियों के सिवरेज जोड़ दिए गए थे वह नहीं जोड़ने चाहिए थे । अध्यक्ष महोदय, जब तक वहां पर पानी का डिस्पोजल नहीं होगा तब तक वहां आने जाने का रास्ता नहीं मिलेगा ।

Mr. Speaker : He just wants a disposal.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि डिसपोजल के लिए एस.टी.पी. होता है और एस.टी.पी. हम जल्द से जल्द बना रहे हैं । जो ये कह रहे हैं तो इस दौरान अगर पम्पिंग हैंडसैट से सिवरेज लाईन क्लीयर हो सकती है तो वह हम जल्द से जल्द करेंगे ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का करनाल में सिवरेज की व्यवस्था करवाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हमारे यहां पर भी इसके लिए काफी पैसा आया है । सर, मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है । यह करनाल की ही नहीं शायद और शहरों की भी प्राब्लम होगी । जो पुराने शहरों के मौहल्ले हैं वहां पर कई गलियां ऐसी हैं जो नैरो हैं । डिपार्टमैंट के लिए भी वहां पर काम करना मुश्किल हो जाता है । जब डिपार्टमैंट से हम सिवरेज पाईप लाइन डालने के लिए बोलते हैं तो वह कहते हैं कि वहां पर पानी की पाईप है और अगर हम सिवरेज की पाईप लाइन डालेंगे तो दोनों मिल जाएंगी और प्रॉब्लम हो जाएगी । क्या इसके लिए कोई प्रावधान मंत्री जी करने जा रहे हैं ? इस तरह की जो हमारी गलियां हैं जहां ओपन नालियों में गंदगी पड़ी रहती है वहां के लिए क्या वे कुछ प्लान करेंगें ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम ये कह रहीं हैं वह सही है लेकिन इसके अंदर टैक्नीकल फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी । ज्यादातर प्रॉब्लम यह होती है कि पुराने शहरों के अंदर लोग इन्क्रौचमैंट कर लेते हैं और जब घर बनाए जाते हैं तो मेन होल्स घरों के अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको क्लीन करने में हमें प्रॉब्लम आती है जहां पर पौसिबल है, Speaker Sir, we have to see technical feasibility of the whole thing then we will take it up.

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि हमारे कालका शहर में सीवरेज की कई वार्डों में हालत खराब है खास तौर पर वार्ड नं.1, अपर मोहल्ला और वार्ड नं. 3 व कई मोहल्लों में सीवरेज की बहुत ही बुरी हालत है । अब तक टंकियों की योजना नहीं बनाई । टंकियां बनाने की योजना कब तक चालू करेंगे ? इसके

अलावा पिंजोर नगर पालिका 1996 में बनी थी वहां भी अभी तक सीवरेज की व्यवस्था नहीं की गई है । क्या वहां सीवरेज बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है यदि है तो कब तक पूरी की जाएगी ?

श्रीमती किरण चौधरी : हालांकि माननीय सदस्य का यह प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है फिर भी बताना चाहूंगी । हालांकि इन्होंने मुझे कोई शिकायत अब तक नहीं दी है। आज ही ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस पहली बार यह बात कही है फिर भी मैं पता कर लूंगी और हमारा जो सीवरेज क्लीनिंग का सिस्टम है उसके थ्रू उसको जरूर क्लीन करवाएंगे।

Construction of New Bridge

***360. Shri Devender Kumar Bansal :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Bridge on Ghaggar River in Panchkula?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surejewala : Yes, Sir.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह जो पुल है उसका निर्माण कब तक शुरु हो जाएगा और कितनी लागत से बनेगा ? इसके साथ लगते बरवाला को छोड़कर 22-23 गांव है उन की सड़कें भी पेंडिंग हैं, उनका निर्माण कब तक किया जाएगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे संख्या 73 जो पंचकूला से यमुनानगर होते हुए आगे उत्तरप्रदेश में जाता है, नेशनल हाइवे नं. 22 को जोड़ता है। इसके लिए भारत सरकार ने 104.77 किलोमीटर का यह प्रौजेक्ट बनाया है जिसको उन्होंने रिक्वैस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के लिए तय किया है। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की नेशनल हाइवे अथोरिटी के दो प्रौसीजर हैं एक तो आर.एफ.क्यू. और दूसरा आर.एफ.पी. है। आर.एफ.क्यू. इसका पहले किया था उन्होंने फाइनली इसके लिए फाइनैंशियल बिड्स मांगी थी उसके लिए बिडर कोई आया नहीं। इसके बाद उन्होंने फ्रैश आर.एफ.क्यू किया है । इसमें अकेला इनका घग्गर का ब्रिज नहीं है बल्कि 14 बड़े ब्रिज और हैं व 34 माइनर पुल है जो कि यमुनानगर, शहजादपुर, साहा, टांगरी बरवाला का बाई-पास भी इसमें शामिल है । It is a big project, Sir, and the total cost of the project itself is 934.93 crores but it is under RFQ stage with National Highway Authority of India because it is a National Highway and RFQ has again been invited second time because RFQ could not be materialized. Thirty five or thirty seven people have come and they are being shortlisted by the Government of India. I have to seek the necessary information. We are pursuing the matter and no time-frame can be given as yet.

राव बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या नारनौल में भी ऊपरी पुल बनाने की कोई योजना है और यदि बनायेंगे तो कब तक बनाया जाएगा ?

Mr. Speaker : They have started rephrasing the demands into questions.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : मैं माननीय सदस्य को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हम एक कोटपुतली की सड़क लेकर आ रहे हैं जो कि कोटपुतली, नारनौल, दादरी भिवानी इन सारी जगहों को जोड़ती हुई जायेगी । जिसकी ऐस्टीमेट कॉस्ट 1200-1300 करोड़ रुपये आएगी। इसे डी.बी.एफ.ओ.टी. पैटर्न पर हम बना रहे हैं । इसमें कई शहरों के बाई-पास और कई जगहों के रेलवे ओवर ब्रिज हैं। जो नेशनल हाइवे दिल्ली से जयपुर एन.एच.-8 जाने लग रहा है, उसको एन.एच.-1 से फाइनली लाकर जोड़ेंगे। जो जींद और रोहतक के बीच का नेशनल हाइवे पोर्शन है उसकी हम भारत सरकार से मंजूरी करवा रहे हैं । जींद से कैथल का स्टेट हाइवे हमने आलरेडी चौड़ा कर दिया है और कैथल टू अम्बाला नेशनल हाइवे आलरेडी नेशनल हाइवे अथोरिटी के पास बिडिंग प्रौसेस के लिए गया है । जब यह एक सीमलैस नॉर्थ साउथ कारीडोर बनेगा तो दक्षिणी हरियाणा के इलाकों को इसका बहुत फायदा होगा और इसका यह हिस्सा हरियाणा सरकार अपने पास से डी.बी.एफ.ओ.टी. पैटर्न पर बना रही है और भारत सरकार ने बाकायदा 200 करोड़ रुपये, जहां तक आंकड़े मुझे याद हैं लगभग 300 करोड़ रुपये की viability gap funding, पहली बार हरियाणा सरकार के किसी प्रोजैक्ट को प्लानिंग कमिशन ने दी है ।

Repair of Road

***499. Shri Subhash Chaudhary :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that about 15 K.M. of road from Palwal to Aligarh which falls in the State of Haryana is completely damaged ; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be reconstructed/ repaired.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी। फिर भी अगले वित्तीय वर्ष में इस सड़क के और सुधारीकरण पर विचार किया जाएगा।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि विचार करने से तो और खड्डे हो जायेंगे क्योंकि पहले ही खड्डे हैं वहां पर । हालत यह है कि अगर मंत्री जी उस सड़क को किसी पी.डब्ल्यू.डी. के किसी एक्सियन या एस.ई. के माध्यम से दिखवा लें तो पाऐगें कि वहां की सड़क की हालत बहुत बुरी है । वैसे यह रोड़ तो अलीगढ़ रोड़ है जो हरियाणा को उत्तरप्रदेश से जोड़ता है और इस रोड पर लाखों वाहनों का आवागमन रोजाना होता है । दूसरा, अध्यक्ष महोदय वैसे हमारी सुनते तो हैं नहीं लेकिन फिर भी कहनी पड़ती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा एक तरफ तो कहते हैं कि हरियाणा नम्बर एक है दूसरे हमारे इलाके

में इतनी कच्ची सड़कें हैं, कि क्या मंत्री जी क्या उन सड़कों को बनाया जायेगा? ये सड़के हैं रायदास से बाता, वाडका से भवाना और एक खादर जगह है जहां पत्थर की सड़क है क्या उसको तारकोल की सड़क बनाया जायेगा ?

Mr. Speaker : It is demand, need not reply.

श्री सुभाष चौधरी : हमारे पलवल के क्षेत्र के लिए इन सड़कों को बनाने का कोई प्रावधान सरकार के पास है ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य का सवाल पलवल से अलीगढ़ सड़क का है । माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सड़कों के इम्प्रूवमैंट की आवश्यकता है । मैंने पहले ही अपने जवाब में बताया है कि इन सड़कों के सुधारीकरण की आवश्कता है । इनका सवाल लगते ही हमने इस सड़क का दोबारा से एस्टिमेट एग्जामिन करवाया था । अगर इस सड़क का सारी का पुनर्निमाण करें तो इस पर 18 करोड़ रुपये खर्चा आयेगा । मैं इसके बारे में बगैर कोई टाईम फ्रेम दिये माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम प्रयास करेंगे कि इस राशि की माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेकर इस सड़क का निर्माण वर्ष 2011-12 में शीघ्रातिशीघ्र करने की कोशिश करेंगे ।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जिस प्रकार से मेरे साथी श्री सुभाष चौधरी ने बताया कि पलवल से अलीगढ़ की सड़क जो हरियाणा को उत्तरप्रदेश से जोड़ती है। इसी प्रकार से दूसरी सड़कें जो हरियाणा को दूसरे प्रदेशों से जोड़ती हैं उनकी हालत बहुत खराब है ।

Mr. Speaker : Can you specify ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, कुरुक्षेत्र से लाडवा. . .

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, इस सड़क के बारे में कई बार जवाब आ चुका है ।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यमुनानगर से सहारनपुर, कैथल से पटियाला और कैथल से पटियाला सड़क से लगते और लिन्क रोड्ज हैं जो हरियाणा प्रदेश को पंजाब से जोड़ते हैं । मेरे कहने का तात्पर्य उन लिन्क रोड्ज से है कि जो दूसरे प्रदेश को जोड़ती हैं। चलो अन्दर के रोड्ज पर तो कुछ काम हो रहा है चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड्ज हैं या लिंक रोड्ज हैं, लेकिन जो सड़कें दूसरे प्रदेशों को जोड़ती हैं, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सड़कों की रिपेयर अच्छे ढंग से करेंगे उनको खूबसूरत बनाने का काम करेंगे और मोटरेब्ल करने का काम करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैंने दो सड़कों की विशेष तौर पर चर्चा की है। बाकी जनरल बात कही है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माजरा जी का यह कहना है कि कैथल की सड़कें बहुत बढ़िया कर रहे हैं ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि नरवाना से वाया कलायत और खास तौर से कलायत शहर के अन्दर के पोरशन की सड़क पूरे हरियाणा में सबसे खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है । वहां से आदरणीय श्रीमती गीता भुक्कल जी जो पहले वहां से नुमाइंदगी भी करती रही हैं It is one of the best road. It is a part of the National Highway & that we have already constructed. जहां तक यमुनानगर वाली सड़क का इन्होंने प्रश्न पूछा है ....

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, सरकार जो कैथल से इस्माईलाबाद की सड़क बना रही है वह न तो नेशनल हाईवे नम्बर 1 से जोड़ेगी और उसके लिए लोगों में काफी रिजैंटमेंट है क्योंकि यह बाईपास आठ किलोमीटर की दूरी पर बनेगा। इसलिए सरकार इस पर पुनर्विचार करे। पहला बाईपास अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, बाकी सभी सदस्यों की तो यह मांग आती है कि मेरे हल्के में सड़कें बनाओ और नेशनल हाईवे इनके इलाके में से होकर जा रहा है और माजरा साहब चाहते हैं कि इनके हल्के की सड़कें मत बनाओ ये सभी को पाली रखना चाहते हैं ।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र की रोड जो दूसरे प्रदेश राजस्थान को जोड़ती है इस रोड का नाम संगरिया से डबवाली है । हमारे यहां से मेरे से पूर्व जो सदस्य थे उन्होंने भी इस सदन में कई बार यह मुद्दा उठाया था । मैंने भी दो बार इन राइटिंग प्रश्न किए थे । मंत्री जी की तरफ से जवाब भी आए थे । अभय सिंह चौटाला जी का भी पिछली बार प्रश्न लगा था और उसका भी जवाब आया था परंतु आज सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है । अध्यक्ष महोदय, पोजीशन यह हो गई है कि उस सड़क पर लोगों ने चलना ही छोड़ दिया है।

Mr. Speaker : Ask the specific question.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस सड़क का निर्माण करवाएंगें ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभय जी का भी पत्र आया था और शायद अजय जी का भी पत्र आया था । विधान सभा में भी इन्होंने इस सड़क का प्रश्न पूछा था । अगर मुझे सही याद है तो इस सत्र में भी यह प्रश्न लगा है और मैंने इसका लिखित में भी जवाब दिया है कि माइनिंग बन्द होने की वजह से यह सड़क नहीं बन पाई । अब हमने इस सड़क के लिए 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है । मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल मंजूर कर दी है और इस सड़क के टैण्डर्ज काल कर दिए गए हैं । (विघ्न) इन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैंने दे दिया है कि हमने इस सड़क के लिए 25 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिए हैं । टैण्डर्ज लगा दिए गए हैं और इसके निर्माण के बारे में मैंने लिखित में भी बताया था कि यह सड़क समय सीमा में इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि माइनिंग एक्टीविटीज पूरी स्टेट में बन्द थी । एक हफ्ते से ही कोर्ट का स्टे वकेट हुआ है । मार्च, 2010 से एक हफ्ता पहले से पंजाब और हरियाणा की माइनिंग एक्टीविटीज पूरी तरह से बन्द थी । अब माइनिंग एक्टीविटीज दोबारा से खुली हैं । मैंने यह भी कहा था कि हम अपने कंट्रैक्टर को बोलकर शीघ्र अति शीघ्र एक सीमित

समय के अंदर इसका निर्माण करवा देंगें ।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क को मंजूर हुए तो 8 साल हो गए हैं । निरंतर 8 सालों से इस हाउस में यही जवाब आए हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस सड़क का निर्माण भी करवाएंगें या नहीं ? (विघ्न)

Mr. Speaker : Now, a positive assurance has come from the Hon'ble Minister.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे टाइम में तो यह रोड डिफैंस के पास थी इसलिए उस समय हरियाणा प्रदेश की सरकार यह सड़क नहीं बनवा पाई लेकिन अब तो यह सड़क हरियाणा सरकार के पास है फिर यह सड़क क्यों नहीं बन पा रही ? कोई बात तो इनको पोजीटिव भी सोचनी चाहिए ।

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से मैं इस अगस्त हाउस का सदस्य बना हूं तब से ये तीसरा कंजैक्टिव सैशन है और तब से लेकर आज तक मैंने मंत्री जी से बाढड़ा क्षेत्र की कुछ सड़कों को बनाने के लिए मांग की है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बाढड़ा क्षेत्र में कोई सड़क को बनाने का उनका कोई प्रस्ताव है ? इन सड़कों की लिस्ट मैंने पहले दी थी जैसे चांद रोड से ढाड़ी छिल्लर रोड वगैरह । मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि ये सड़कें बनाएंगें या नहीं ?

Mr. Speaker : It is a very general question, need not answer.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल पूछा था और इनको बताया गया था कि ये सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की थीं । एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी इस समय हाउस में मौजूद नहीं है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर कोई सड़क 6 क्रम की है तो उसको बनवाएंगें । मुख्यमंत्री महोदय जी ने उस दिन भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी को यह कहा था और आज मैं फिर इनको एश्योर करता हूं कि एक विशेष सड़क जिसकी ये चर्चा कर रहे थे, अगर ये उसको 6 क्रम की लिखकर भिजवा देंगें तो हम मुख्यमंत्री जी को पुट अप करके इसको जल्दी टेक अप करने की कोशिश करेंगें ।

Mr. Speaker : I allowed six supplementaries on this question. All the Members may send their requests in writing. I will forward their requests to the Government.

Digging of Ottu Weir

***398. Shri Krishan Kamboj :** Will the Forest Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the digging work of Ottu Weir in District Sirsa is being got done by the Forest Department ; and

(b) if so, the time by which the abovesaid work is likely to be completed togetherwith the details of the sale of excavated earth from the Ottu Weir?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हां श्रीमान् जी। परन्तु जिला सिरसा में ओट्टू वियर की खुदाई सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है न कि और डिपार्टमैंट द्वारा।

(ख) यह कार्य 30.06.2011 तक पूर्ण होने की सम्भावना है और खुदी हुई मिट्टी का निपटान ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर किया जायेगा।

श्री कृष्ण कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, हमें नहीं पता कि किस डिपार्टमैंट द्वारा यह खुदाई की गई है । यदि खुदाई की गई है तो बहुत खुशी की बात है । इलाके के लोगों को भी खुशी है कि ओटू लेक का काम मुख्यमंत्री महोदय जी ने शुरू करवाया है लेकिन दुःख की बात यह है कि इसकी खुदाई के लिए जो ठेकेदार लगाये गए हैं उन्होंने वह मिट्टी खुदाई करके बांध पर गिराने की बजाय बेच दी है ।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछें ।

श्री कृष्ण कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि उसकी जो खुदाई चल रही है वह कब तक पूरी हो जायेगी । इसके साथ-साथ मेरा दूसरा सवाल यह है कि वहां खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकल रही है वह बरसात के दिनों में रोड पर आ जाती है जिसके कारण रानीयां से सिरसा के बीच में बहुत एक्सीडैंट होते हैं और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह ओटू वीयर 1894 में बनी थी । हमारी सरकार आने के बाद 2007 के अंदर 69.68 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट बनाया और हमें नाबार्ड से 53.40 करोड़ रुपये मिले । अब तक ओटू वीयर पर 44.94 करोड़ रुपये लगाये जा चुके हैं । ओटू वीयर को करीबन अढ़ाई फिट गहरा और करेंगे और यह कार्य 30 जून तक पूरा कर लिया जायेगा । इसकी पहले कैपेसिटी केवल मात्र 20 हजार क्यूसिक है जो बढ़कर 42 हजार क्यूसिक हो जायेगी । इस ओटू वीयर के बनने के बाद करीबन 90 दिन सिंचाई हुई है इसके लिए इन्हें मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने बिना भेदभाव के इतना बड़ा प्रोजैक्ट इनके यहां सिरसा जिले में बनाया है । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य को मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ओटू वीयर को चार फिट और गहरा करने के लिए करीबन 80.88 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट बनाकर मिनिस्टरी ऑफ वाटर रिसोर्सिज को स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है । जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलेगी हम इसको और गहरा करेंगे । उसके बाद कम से कम वहां 120 दिन तक सिंचाई हो सकेगी । यह बहुत ही अच्छा प्रोजैक्ट हमने वहां के लोगों को दिया है इसकी इन्हें सराहना करनी चाहिए । जहां तक माननीय सदस्य ने मिट्टी रोड़ पर जाने की बात की है । इस बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिट्टी रोड़ पर न जाये । फिर भी कोई दिक्कत हुई तो हम बीचींग करवाकर ठीक करवायेंगे ।

श्री कृष्ण कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, बरसात आई और झील में काफी पानी भी इक्ट्ठा हुआ। जिसके कारण वहां के लोग बड़े खुश थे कि पैडी का सीजन है और उनकी फसल को काफी दिन तक पानी लगेगा । लेकिन हम इतने बदकिस्मत रहे खासकर रानीयां के लोग कि ज्यादा

बरसात होने से वहां बाढ़ आ गई और बांध टूट गये जिसके कारण मेरे हल्के में करीबन 30 हजार एकड़ फसल खराब हो गई । मेरे हल्के में एक एकड़ में कम से कम 60-70 हजार रुपये की फसल होती है । लेकिन जितना हो सकता था सरकार की तरफ से किसानों को 4-5 हजार रुपये प्रति एकड़ के करीब मुआवजा भी दिया गया इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं । (विघ्न)

Mr. Speaker : Ask your specific question.

श्री कृष्ण कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं । जो घग्गर नदी की बीच की धार है उसमें सबसे बड़ा नुक्सान यह है कि वह धार बराबर हो रही है । वह धार 200 फिट चौड़ी और 25-30 फिट गहरी होनी चाहिए । अब ऐसा होता है कि जब भी पानी आता है वह सीधा ही निकल जाता है, नीचे नहीं जाता बल्कि लैवल पर आता है जिसके कारण थोड़ा पानी आने पर भी फसल डूब जाती हैं। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह धार 200 फिट चौड़ी और 25-30 फिट गहरी की जाये ।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, need not reply. It is a suggestion.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां पर इस प्रकार की दिक्कत है वहां डिसील्टिंग करवा रहे हैं । यदि माननीय सदस्य स्पेसिफिक पूछते तो मैं बताता । जहां भी इस तरह की समस्या है उसके लिए हमने काफी पैसा रखा है । विशेषकर सिरसा के लिए जो घग्गर नदी है, पटियाला नदी है इनके ऊपर विशेष ध्यान कर रहे हैं । इनकी स्ट्रैंथनिंग भी करेंगे । इस बारे में कल भी प्रश्न आया था । इनका हम विशेष ध्यान रखेंगे और इनकी डिसील्टिंग भी करवायेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत न आये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ओटू वीयर कि खुदाई का टैण्डर दिया हुआ है उसमें यह भी लिखा गया है कि उसकी मिट्टी निकालकर ठेकेदार बेच दे । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं दूसरा सवाल यह करना चाहता हूं कि सरकार कई बार कहती है कि ओटू वीयर में 90 दिन तक पानी चला । यह तो परमात्मा की मेहरबानी रही कि बरसात हो गई ।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मेहरबानी तो इनकी भी रही होगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी कोई मेहरबानी नहीं है । सर, इसके

11.00 बजे

साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उसमें अब गंदा पानी चल रहा है जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा जी ने अभी क्वैश्चन उठाया था। क्या उस पानी को भी ठीक करने के बारे में मंत्री जी कोई कारगर कदम उठायेंगे और आगे से इसमें गंदा पानी न आये इसके लिए भी कोई योजना बनायेंगे क्योंकि इस गंदे पानी की वजह से आसपास के क्षेत्रों में बीमारियां फैल रही हैं ? इसके कारण ही सिरसा जिले में कैंसर जैसी बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज़ पाये गये हैं ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने पहले तो यह कहा है कि यह 90 दिन क्यों चली इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमने इसकी कैपेसिटी को 20 हज़ार क्युसिक से बढ़ाकर 40 हज़ार क्युसिक किया है । दूसरी बात इन्होंने ओटू वीयर की खुदाई के समय निकलने वाली मिट्टी की डिस्पोज़ल के बारे में पूछा है इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने ओटू वीयर की खुदाई का टैण्डर किया था तो उस समय यह कंडीशन भी लगाई थी कि खुदाई के समय जो मिट्टी निकलेगी उसको ठेकेदार स्वयं डिस्पोज़-ऑफ करेगा लेकिन बैंक्स को हम ज़रूर मज़बूत बनायेंगे लेकिन जो फालतू मिट्टी है उसे तो कहीं न कहीं बाहर लेकर जाना ही पड़ेगा । तीसरी बात इन्होंने ओटू वीयर में गंदे पानी की बात कही है । सर, इस बारे में मेरा यह कहना है कि ओटू वीयर में गंदे पानी की मौजूदगी के लिए हमारी सरकार पूर्ण तौर पर सजग है । मैं स्वयं और स्थानीय सांसद केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री जय राम नरेश जी से मिले थे और उन्हें इस गंदे पानी की समस्या से अवगत कराया था और पंजाब व हिमाचल प्रदेश से आने वाले गंदे पानी पर रोक लगाने की मांग की थी । इसके साथ-साथ हमने इस बारे में केन्द्रीय पॉल्यूशन बोर्ड को भी चिट्ठी लिखी है । हमें उम्मीद है कि इस बारे में जल्द ही कोई न कोई कारगर हल निकल जायेगा जिसके लिए हम पूरे प्रयत्न कर रहे हैं ।

CHC at Village Israna

***405. Shri Krishan Lal Panwar :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Community Health Centre at village Israna of Panipat; if so, the time by which aforesaid CHC is likely to be opened?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि एक सी.एच.सी. बनाने के लिए सरकार ने क्या क्राईटेरिया फिक्स किया हुआ है? सैकण्डली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सी.एच.सी., इसराना की आधारशिला रखी थी । इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक मुख्यमंत्री द्वारा अगर किसी संस्था की आधारशिला रखी जाती है क्या दूसरा मुख्यमंत्री उसको कैंसिल कर सकता है ?

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, पहली बात तो माननीय सदस्य ने सी.एच.सी. खोलने के लिए मापदण्ड जानने की बात पूछी है इस बारे में मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि जिस गांव या कस्बे की आबादी एक लाख या इससे ज्यादा होती है वहां पर हम सी.एच.सी. का निर्माण करते हैं। दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह जाननी चाही है कि क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किये गये शिलान्यास को वर्तमान मुख्यमंत्री कैंसिल कर सकता है । इस बारे में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जब श्री पंवार जी की पार्टी की सरकार थी और श्री चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस समय जनवरी, 2003 में इसराना में सी.एच.सी. के निर्माण की आधारशिला रखी थी । वर्ष 2005 तक इनकी पार्टी की सरकार रही उस दौरान इस सी.एच.सी. का निर्माण हो जाना चाहिए था

लेकिन नहीं हुआ। इस सी.एच.सी. की फिजिबिल्टी देखी गई और लोग हाई कोर्ट में गये । उसके बाद हाई कोर्ट में यह बात फाईनल हुई कि जो पानीपत में इण्डस्ट्रियल एरिया है उसमें जो लेबर लगी हुई है और वहां के लोगों की ज़रूरत को देखते हुए नौलथा में जो पी.एच.सी. बनी हुई है वह बिलकुल सही है । सर, इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार की यह कोशिश रहती है कि पी.एच.सी. या सी.एच.सी. का निर्माण ऐसी जगह पर ही किया जाये जहां पर सही मायनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और पी.एच.सी. या सी.एच.सी. को खोलने के लिए सरकार के लैवल पर किसी शहर या कस्बे को देखते हुए निर्णय नहीं लिया जाता । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही पी.एच.सी., नौलथा को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाने का निर्णय लेकर बात फाईनल की गई और इसके लिए डायरैक्टर जनरल, हैल्थ ने भी बाकायदा स्पीकिंग आर्डर दिये कि हम इसको बनायेंगे । इस समय ज़मीन अवेलेबल नहीं होने की वजह से मामला सरकार के विचाराधीन है । वहां पर जो पहले वैटेनरी हॉस्पिटल था अब वह शिफ्ट हो चुका है जिसकी ज़मीन भी वहां पास में ही लगती है और जिसे इस उद्देश्य हेतु लेने की प्रक्रिया जारी है । हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस सी.एच.सी. को बना देंगे ।

Mr. Speaker : Have you given an assurance to the High Court that you will make a CHC at Naultha?

Rao Narender Singh : Yes Sir.

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, नौलथा भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में है । जैसे मंत्री जी ने अवगत कराया कि वहां पर सी.एच.सी. ज़मीन एक्वायर करने के बाद बना दी जायेगी । इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं लेकिन इसराना एक तहसील है, ब्लॉक हैडक्वार्टर है इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या सरकार इसराना में सी.एच.सी. बनाने के लिए पुनर्विचार करेगी ? एक सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि जितनी भी सी.एच.सीज़. हरियाणा प्रदेश में बनी हैं क्या वे सभी एक लाख की पॉपूलेशन के निर्धारित क्राईटेरिया को पूरा करती हैं?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने कहा कि नौल्था की बजाय इसको इसराना में बनाया जाना चाहिए । इसका मतलब आप चाहते हैं कि नौल्था में नहीं बनाकर इसराना बना दें ।

श्री कृष्ण लाल पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा नहीं चाहता मैंने नौल्था के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया है । मैं चाहता हूँ कि इसराना में भी बनाई जाये ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी चाहते हैं कि नौल्था के साथ-साथ इसराना में भी बनाई जाये तो इसको हम इग्जामिन करवा लेंगे अगर वहाँ पर लोगों की जरूरत होगी तो हम इसराना में भी जरूर बनवा देंगे ।

Replacement of Obsolete Wires of Electricity

***518. Shri Anand Kaushik :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete wires with insulated wires of electricity in the colonies of Faridabad city; if so, the time by which the aforesaid wires are likely to be replaced ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की नीति के अनुसार फरीदाबाद शहर सहित सभी क्षेत्रों में, चोरी संभावित क्षेत्रों में बिजली की पुरानी तारों को इनस्युलेटिड तारों के साथ तथा अन्य सभी क्षेत्रों में बेयर कंडक्टर के द्वारा बदला जा रहा है।

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, यह कालोनियाँ 1960 से 1975 के बीच में बनी थी और उसको बने 35-40 साल हो चुके हैं । डिसिल्वा कालोनी, भूड़ कालोनी, ठाकुरवाड़ा, अहीरवाड़ा, सय्यदवाड़ा, बाड़ मोहल्ला, वाल्मीकि बस्ती, भीम बस्ती, शास्त्री कालोनी, गोपी कालोनी, सन्त नगर, कृष्णा कालोनी, इन्दिरा कालोनी मिलाड कालोनी, ए.सी.ई. नगर, पटेल नगर तथा बराईपाड़ा । इन कालोनियों की सारी तारें लटकी हुई हैं । इनकी चपेट में आ कर कई बार पशु भी मर चुके हैं तथा कई बार दुकानों में आग लग चुकी है । गलियों में तार लटक जाते हैं और सिर में भी लग जाते हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये तार कब तक इंसूलेटिड तारों में तबदील हो जायेंगे ?

Mr. Speaker : Minimum supplementaries may be asked today because I want to complete all the 20 questions. Questions of Members are listed but they are all never answered. So, I would like to allow only one supplementary with one question. So, this is the last supplementary.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी कई बार आया है और इस प्रश्न का जवाब हमारी पॉलिसी के मुताबिक दिया गया है लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है तो उसके जवाब में मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक फरीदाबाद का ताल्लुक है यह स्थिति सिर्फ फरीदाबाद की ही नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश की समस्या है । कायदे के मुताबिक जो तार 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक पुराने हो गये हैं उनको बदलने की आवश्यकता है लेकिन इन्सुलेटिड तार में बदलना बहुत महंगा पड़ता है । यह तीन गुणा महंगा है लेकिन लाइफ उससे कम है । इनको एक सुनिश्चित सप्लाई के साथ-साथ खास तौर से वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर बिजली चोरी के कारण लॉस ज्यादा होता है । जहाँ पर लॉस होने की ज्यादा गुंजाइश होती है वहाँ पर इनको बदलते हैं । फरीदाबाद का जहां तक ताल्लुक है फरीदाबाद में 2006-07 से लेकर 2009-10 तक अलग-अलग समय पर तारें बदली गयी हैं इसलिए यह केवल कालोनीज का ही सवाल नहीं है बल्कि यह सब जगहों का सवाल है । फरीदाबाद में 1999-2005 तक तकरीबन 4130 किलोमीटर तारे थी इनमें से 1652 किलोमीटर तारे बदली गयी हैं । 2009-10 में इनके यहां की अलग अलग एच.टी. और एल.टी. की तकरीबन 48.500 किलोमीटर तारें बदली गयी हैं। 2010-11 तक टोटल मिलाकर 2555 लाईन्ज थीं जो बदली गयी हैं । हरियाणा में तारों की स्थिति

का जहां तक ताल्लुक है हरियाणा में 36693 किलोमीटर तारे थीं जिसमें से 14393 किलोमीटर तारें बदली गयी हैं। फिलहाल जो स्थिति है वह यह है कि दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा दोनों में 23452 किलोमीटर तारे थी जो इस दौरान बदली गयी हैं और 14967.86 किलोमीटर पूरी कर दी गयी हैं । बकाया इस समय 8384 तारे बदलनी बाकी है । मैं समझता हूं कि यह एवरेज से बहुत कम है । बाकी जो तारें बदलने से रहती हैं उनके लिए भी हमारी जो नीति है उसके मुताबिक समय के और आवश्यकता के अनुसार उनको बदलते रहते हैं इसलिए इनको भी हम जल्दी ही बदलेंगे । जहां तक फरीदाबाद की बात है इसके विषय में हमारी एक स्कीम हैं। यह स्कीम 126 करोड़ रुपये की लागत से नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए हैं। इसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक योजना को मंजूरी मिल चुकी है । यह योजना फरवरी, 2011 तक शुरू होनी है और मार्च, 2013 तक हम इसको पूरा कर देंगे इसलिए इसमें इनकी भी सारी कालोनीज कवर हो जाएंगी ।

JBT Centre of Village Pabra

***429. Shri Naresh Selwal :** Will the Education Minister be pleased to state —

(a) whether it is fact that an old JBT centre of village Pabra falling in Uklana Constituency was closed during the Year, 1971; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to start the JBT centre again or to open a Girls College in the building of old JBT centre ?

Education Minister (Shri Geeta Bhukkal Matanhail) :

(a) No, Sir. However, the JBT Centre, Pabra (Hisar) was closed in the year 2003.

(b) There is no proposal under consideratyion of the Government to start the JBT centre again or to open a Girls College in village Pabra (Uklana Constituency). इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि इन्होंने जो क्वैश्चन लगाया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि काफी समय से वह बिल्डिंग खाली पड़ी है । इसके बारे में मैं इनको यही आश्वासन देना चाहूंगी कि इनकी जो चिंता है वह सही है इसलिए उसमें हम स्किल्ड डिवैल्पमैंट सैंटर चलवा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

Government College in Yamunanagar

***423. Shri Dilbag Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that there is no Government College in Yamunanagar; If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Yamunanagar city alongwith the time by which the aforesaid college is likely to be opened ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Yes, Sir. However, at present there is no proposal under consideration of Government to open a Government College in Yamunanagar city.

श्री दिलबाग सिंह : सर, मेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है कि मेरी प्राब्लम्ज तो बहुत हैं लेकिन मैं इनमें से 5-6 के बारे में बताना चाहूंगा ।

Mr. Speaker : There are rules in the House. You send the problems in writing. You can ask question relating to Education Department.

श्री दिलबाग सिंह : स्पीकर सर, मैंने लिखित में अपने क्वैश्चन दिए हैं लेकिन मेरी बारी नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष : आप अब उनके बारे में बोल दो । You can send them to me, I will forward them to the Minister concerned.

श्री दिलबाग सिंह : स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुनानगर एक इंडस्ट्रियल शहर है और एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी यमुनानगर में है परन्तु हमारे यमुनानगर में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो ठीक ठाक हो जिस पर हम चल सकें । (विघ्न) आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष : आप ऐजुकेशन डिपार्टमैंट से संबंधित क्वैश्चन पूछें ।

श्री दिलबाग सिंह : सर, मुझे फिर दोबारा से बोलने का मौका नहीं मिलेगा । मेरी 5-6 प्राब्लम हैं ।

Mr. Speaker : You can send them to me. I will forward them to the Minister. दिलबाग सिंह जी, मैं आपका साहस बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूं कि आप जो भी लिखित में भिजवाना चाहते हैं उनको आप मेरे पास भिजवा देना मैं उनको मिनिस्टर को फारवर्ड कर दूंगा । अभी आप अपना क्वैश्चन ही पूछें ।

श्री दिलबाग सिंह : मैंने लिखित में दी हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास तो नहीं दी हैं ।

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिखित में भी अपनी प्राब्लम भेजी थीं किन्तु उनका कोई जबाव नहीं आया । मेरे क्वैश्चन भी लगे थे लेकिन मेरी बारी ही नहीं आयी ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका क्वैश्चन लगने के बाद स्पीकर बना हूं ।

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि यमुनानगर में प्राइवेट कालेज तो बहुत हैं परन्तु उनकी जो फीस है वह इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी वहां पढ़ नहीं सकता, मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां सरकारी कालेज क्यों नहीं है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि यमुनानगर का गवर्नमैंट कालेज छछरौली में वर्ष 2008 से चल रहा है और गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है और अतिशीघ्र हम उसकी नयी बिल्डिंग बना देंगे । आपके यहां से छछरौली केवल 15 किलोमीटर दूर है।

श्री दिलबाग सिंह : छछरौली स्थित वह कालेज हमारे यहां से 22 किलोमीटर दूर है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : सर, इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी कि यमुनानगर जिले में इसके अलावा करीब 8 ऐडिड कालेज हैं जिनमें गुरुनानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर,डी.ए.वी. कालेज फॉर गर्ल्स, यमुनानगर, (शोर एवं व्यवधान) जिनके लिए हम करीब 24 करोड़ रुपये से ज्यादा की ग्रांट दे रहे हैं । (विघ्न)

Mr. Speaker : They are aided colleges and aided college means that 95% grants is coming from the Government.

श्री दिलबाग सिंह : माननीय मंत्री महोदया जिन कालेजिज का जिक्र कर रही हैं वह चैरिटी के पैसे से बने हुए हैं ।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : सर, यमुनानगर में कालेज के लिए सरकार के पास कोई प्रपोजल पेंडिंग नहीं है। (विघ्न)

Shri Ashok Kumar Arya : Speaker Sir, ...

Mr. Speaker : Ashok ji, let him speak. He is a new Member and he wants to speak.

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.एम.साहब से कहना चाहूंगा कि अगली बार जब वे यमुनानगर आएं तो बाई रोड आएं, बाई एयर न आएं। धन्यवाद ।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदया ने कहा है कि छछरौली में सरकारी महाविद्यालय चल रहा है लेकिन वह किसी प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों वे यमुनानगर गए थे तो अखबारों में भी आया था और जनता में भी बड़ा उत्साह था कि मुख्यमंत्री जी कालेज की आधारशिला रखेंगे, लेकिन वे रखकर नहीं आए । मैं जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं रखकर आए ?

Mr. Speaker : There can be so many reasons for this.

Repair of Road

***607. Shri Narender Sangwan :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged road from Medha Chowk to Yamuna Bridge on the road leading from Karnal to Meerut?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री नरेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो करनाल से मेरठ रोड जाती है यह मेन रोड है और इस रोड की बहुत खस्ता हालत है । (विघ्न) और नगला रोड से मेधा चौक से यमुनानगर जाओगे तो इस रोड पर बहुत बड़े-बड़े खड्डे हैं, हजारों गाड़ियां इस रोड से निकलती हैं । मेरी एक्सीयन पी.डब्लू.डी. से बात हुई थी । उन्होंने कहा कि इसके लिए 6 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट बना है। मैं पूछना चाहूंगा कि इस रोड को क्यों नहीं बनाना चाहते ।

Shri Ashok Kumar Arora : Speaker Sir, ...

श्री अध्यक्ष : आप नये मैंबर को बोलने दें (विघ्न) I will allow you a supplementary but first I will allow him. (Interruption) I will allow him still. मैं यह बात बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि यह लोग आपको यह कहें । आप अपनी पार्टी के नये सदस्यों को बोलने तो देते नहीं हैं । बीच-बीच में इंट्रप्ट करते हैं। ये यंग मैम्बर्स बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। अरोड़ा जी, आप तो 5-5 बार इस सदन में चुनकर आ चुके हैं । आप इनको बोलने दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेधा चौक से यमुना ब्रिज वाली सड़क है, जो करनाल मेरठ रोड है इसकी अभी हमने 10 लाख रुपये की लागत से मरम्मत करवाई है । यदि कोई कमी है तो मेरे काबिल दोस्त लिखकर भेजें, सजैस्ट कर दें कि क्या-क्या हम कर सकते हैं । हम उनको वर्ष 2011-12 के प्लान में डालकर अप्रूव कराने का प्रयास करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उनको जरूर बोलने दूंगा। Ganga Ram ji do not laugh, please ask the question. आप बड़शामी जी की तरफ देख कर न बोलें। आप मेरी तरफ देखकर बोलें।

श्री गंगाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की सड़कों की आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई हैं । इस बारे में मैंने एक सवाल भी लगाया था जिसका नम्बर नहीं लगा । ये सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की बनाई हुई हैं । एक बार वे सड़कें बनाने के बाद अभी तक उन पर कोई रिपेयर का काम नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप अपना सवाल पूछिये ।

श्री गंगाराम : अध्यक्ष महोदय, ये सड़के हैं कोतगढ़ से जमालपुर तक, शेरपुर से राजपुरा तक, खडेलवा से महताना तक और दूसरी जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं उन पर बनने के बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ है । पी.डब्ल्यू.डी. की जो भी सड़कें हैं वे भी सारी सड़कें इतनी खराब हैं कि उन सड़कों पर दुपहिया वाहन भी नहीं चल सकता ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त यहां बैठे हुए हैं ये हमें इस बारे में लिखकर भेज दें, और जो सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की हैं उनके बारे में माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को भेज दें, उसके बाद इन सड़कों को एग्जामिन करवा लेंगे । कर्नल साहब को

भी मैंने अपने हल्के की सड़कों के बारे में लिखकर देने को कहा था लेकिन उनका लिखित में अभी तक कोई जवाब नहीं आया ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय काबिल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी उस समय अम्बाला कैंट विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी सारी सड़कें बर्बाद हो गई थी । The Government was kind enough at that time. माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि ये सड़कें बनाई जायेंगी । इनके निर्माण के लिए कुछ पैसा सैंग्शन भी किया गया था लेकिन आज छ: महीने बीत चुके हैं लेकिन इन सड़कों पर कोई काम आरम्भ नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो भी विलम्ब चाहे वह पोलीटिकल हो या टैक्नीकल हो उसको दूर करके जल्दी ही इन सड़कों को बनाने का आश्वासन देंगे ।

Shri Randeep Singh Surjewala : I have assured the Hon'ble Member in response to his supplementary question that he asked. I had given the details of the roads that we had sanctioned and tenders have been invited and they are now slated to be opened and we will be taking up the work soon. The work was stopped because there was a complete ban on mining activity which I have explained earlier and work will be taken soon. I personally can assure him that we will try to expedite it as soon as possible.

श्री शेरसिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सरकार की आर्थिक दशा के प्रति बड़ा ध्यान रखते हैं । जैसा कि माजरा जी ने कहा क्या मंत्री जी शाहाबाद से लाडवा, लाडवा से यमुनानगर की सड़कों का निर्माण करने का प्रयास करेंगें, जिन पर रोड़े बिखरे पड़े हैं और लोग उन रोड़ों को अपने घरों में ले जा रहे हैं ? क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि इन रोड़ों को इकट्ठा करके जहां सड़कों का निर्माण हो रहा है वहां पर लगायेंगे ?

Mr. Speaker : No question is made. No need to reply.

Construction of Bridge on Yamuna

***584. Shri Dharam Singh Chhoker : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on Yamuna River between village Hathwala (Samalkha Constituency) to Chhaprauli (Uttar Pradesh) ; if so, the time by which the construction work of the said bridge is likely to be started/completed ?**

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23.12.1996 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देवेगोड़ा ने समालखां से हथवाला वाया छपरोली का फ्लाई ओवर बनाने की घोषणा की थी । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये भारत सरकार से इस फ्लाई ओवर को बनाने के मामले को टेक अप करेंगे ताकि यह फ्लाई ओवर बन सके । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या वे भारत सरकार से सम्पर्क करके इस फ्लाई ओवर को बनवाने का काम करेंगे क्योंकि इसकी घोषणा 23.12.1996 को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवगोड़ा जी ने की थी ।

Mr. Speaker: It is just a request. Minister may not reply.

Grain Market at village Ajrana

***440. Shri Anil Dhantori :** Will the Agriculture Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that a Grain Market was developed at village Ajrana in Kurukshetra District after spending crores of rupees;

(b) if so, whether it is also a fact that abovesaid Grain Market has not been made functional togetherwith reasons thereof ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the aforesasid Grain Market functional?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) :

(a) Yes Sir,

A grain Market was developed in Ajrana through PWD (B&R) as a deposit work of Market Committee Shahabad in the year 1982-83 on 37 acres of land.

(b) With a view to making this mandi functional, 80 plots of shops were put to auction out of which 68 plots were sold to traders for business in this Sub Yard, but only three traders have constructed their shops. Out of the balance, 57 plots have been resumed by Market Committee as the traders have not deposited the cost of plots nor have the shops been constructed by them on the sold plots. The Grain Market is functioning seasonally and the income figures for the last seven years are as under :—

Sr. No.	Year	Income (In Rs.)
1.	2004-05	4,72,535.00
2.	2005-06	3,17,626.00
3.	2006-07	2,61,626.00
4.	2007-08	1,07,741.00
5.	2008-09	3,38,280.00
6.	2009-10	10,01,927.00
7.	2010-11 (upto 31-1-11)	9,61,506.00

(c) This is a seasonal Grain Market which is functioning as per the quantum of arrivals. The work of internal roads is in progress with an estimated cost of Rs. 34.56 lacs and the repairs are likely to be completed by 30.4.2011. Proposal for repair of damaged boundary wall is also under process with an estimated cost of Rs. 5.54 lacs.

श्री अनिल धनतोड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि मैं इनके जवाब से सैटिसफाईड नहीं हूं । मैं एक सिम्पल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह मंडी कब चालू हुई ?

Mr. Speaker : He says that it is already working.

श्री अनिल धनतोड़ी : नहीं सर । यह मंडी चालू ही नहीं है । आप खुद वहां जाकर देखें क्योंकि यह मंडी 1982 से ही चालू नहीं है ।

Sardar Paramvir Singh : There is arrival. I have the figures of arrival. (Interruption) Sir, the mandi is functional.(Interruption)

Mr. Speaker : Alright, they will check it.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे काबिल मंत्री जी ने इस बारे में जवाब दे दिया है । यह बात सच है कि वहां इस समय फसलों की आवक थोड़ी कम है परंतु यह मंडी के ऊपर निर्भर नहीं है । यह तो किसानों के ऊपर निर्भर है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से इनको विश्वास दिलाता हूं कि वहां जो कमी है उस बारे में ये लिखकर दे दें हम इस कमी को जरूर दूर करेंगें ।(विघ्न)

श्री धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने भिवानी के पूरे इलाके में ओला-वृष्टि से किसानों की फसल तबाह हो गई । इस बारे में मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं . . .

Mr. Speaker : You cannot ask this question.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे पलवल की अनाज मंडी बहुत छोटी है । 1966 में जब हरियाणा बना उस समय यह मंडी बनी थी । आज वहां 15-20 लाख क्विंटल गेहूं आ रहा है । 25-30 लाख क्विंटल पैडी वहां आती है । क्या मंत्री जी बताएंगें कि इस मंडी को वहां से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह बड़ी मंडी बनवाएंगें ? अगर नहीं बनवाएंगें तो क्यों नहीं बनवाएंगें ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस मंडी को जरूर बनवाया जाए।

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सैपरेट प्रश्न है । माननीय साथी जी हमारे पास लिखकर भिजवा दें हम उसको एग्जामिन करवा लेंगें ।

Government College in Prithla Constituency

***598. Shri Raghubir Singh Tewatia :** Will the Education Minister be pleased to state — whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Prithla Constituency; if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir.

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में लगभग 100 गांव पड़ते हैं और पूरा क्षेत्र देहाती है । हमारे यहां के क्षेत्रवासियों की प्रार्थना है कि वहां पर एक कन्या महाविद्यालय खोला जाए ।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि पृथला से गवर्नमैंट कालेज फार वूमैन, फरीदाबाद 15 कि.मी. की दूरी पर है और गवर्नमैंट कालेज तीगांव 16 कि.मी. की दूरी पर है ।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister can you give him an assurance in this regard?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसी कोई परपोजल सरकार के पास नहीं है ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Water up-to Tails

***620. Shri Ganga Ram :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) whether water is reaching up-to the tails of the canals in the Pataudi Assembly Constituency ; and

(b) if not, the reasons thereof togetherwith the steps taken/being taken by the Government to supply water up-to the tails ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) नहीं श्रीमान जी, पटौदी विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में 10 नहरों के अन्तिम छोरों में से केवल 5 नहरों के अन्तिम छोरों तक पानी पहुंच रहा है।

(ख) पांच अन्तिम छोरों पर पानी की कमी का कारण लोहारी माइनर, पटौदी रजबाह

तथा दौलताबाद माइनर की क्षतिग्रस्त स्थिति होना है जिनकी मरम्मत की योजना है। आगे कई बार बिजली की आपूर्ति तथा पानी की उपलब्धता का उचित समन्वय नहीं होना है जिसके लिए दोनों गतिविधियों हेतु समान समय पर करने के प्रयास किये जाएंगे।

To Check the Black Marketing of LPG

***493. Smt. Sumita Singh :** Will the Food & Supplies Minister be pleased to state the steps being taken by the Government to check the black marketing of LPG cylinders and also to ensure regular supply thereof ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

एल.पी.जी. की कालाबाजारी को रोकने के लिए तथा इसकी नियमित आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं –

- जैसे ही मास नवम्बर, 2010 में एल.पी.जी. की कमी का पता चला, मामला तेल कम्पनियों के स्टेट लैवल कोआरडीनेटर स्तर पर उठाया गया। उनसे कहा गया कि वे एल.पी.जी. की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए तुरन्त पग उठायें, क्योंकि सर्दियों में घरेलू गैस की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है।
- खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा 149 गैस एजैंसियों का निरीक्षण किया गया तथा चार एजैंसियों के विरुद्ध, अनियमितताएं पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। 15 गैस एजैंसियां, जिनके कार्य में कमियां थी, के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु तेल कम्पनियों को लिखा गया।
- बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एल.पी.जी. डीलरों को जुर्माना किया गया।
- 61 व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा मोटरवाहन चालकों के विरुद्ध एल.पी.जी. का दुरुपयोग करने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। एल.पी.जी. के दुरुपयोग के कारण 2181 सिलेण्डर जब्त किये गये।
- दिनांक 21.1.2011 तथा 09.02.2011 को तेल तथा गैस कम्पनियों के राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ एल.पी.जी. की आपूर्ति में आई कमी की समीक्षा हेतु दो बैठकों का आयोजन किया गया। गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों की अनियमिताओं, गुणवत्ता सहित की जांच हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
- दिनांक 1 मार्च, 2011 से 21 मार्च, 2011 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधीशों तथा खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अधिकारियों की टीम, जिसमें तेल तथा गैस कम्पनियों का अधिकारी भी शामिल हो, द्वारा इस संदर्भ में विशेष अभियान चलवायें।

Number of Technical Colleges

***610. Shri Ajay Singh Chautala** : Will the Technical Education Minister be pleased to state —

(a) the number of Technical Colleges approved by the Government in the private sector from the year 2005 till date;

(b) the Number of sanctioned seats along with actual number of admissions made every year in the aforesaid Colleges;

(c) year-wise number of scheduled castes students in the aforesaid Colleges togetherwith the amount of fee disbursed by the Government for these students to the aforesaid Colleges ; and

(d) the number of scheduled caste students of the aforesaid Colleges who have appeared in the examination togetherwith the ratio of admissions viz-a-viz appearance in examination of the scheduled caste students in the aforesaid Colleges?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) 2005 से अब तक निजी क्षेत्र में अनुमोदित किये गये तकनीकी कालेजों की संख्या 446 है।

(ख) स्वीकृत सीटों व दाखिलों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है —

विवरण	2005—06	2006—07	2007—08	2008—09	2009—10	2010—11
स्वीकृत सीटें	1800	5100	18060	36110	46050	57350
दाखिले	1736	4864	16694	35221	43769	39123

(ग) तकनीकी संस्थान में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के दाखिले की संख्या तथा उन्हें दी गई राशि का विवरण—

Year	No. of Beneficiaries under SCSP scheme	Funds Disbursed under the SCSP scheme (Rs. in Lakhs)	No. of Beneficiaries under PMS scheme	Funds Disbursed under the PMS scheme (Rs. in Lakhs)	Total No. of beneficiaries	Total amount disbursed (Rs. in Lakhs)
2005-06	Nil	Nil	107	46.78	107	46.78
2006-07	Nil	Nil	308	103.12	308	103.12
2007-08	233	41.92	767	215.36	1000	257.28
2008-09	2263	985.67	1044	294.64	3307	1280.31
2009-10	2160	1130.72	8633	2448.51	10793	3579.23
2010-11	64	19.53	7714	1258.42	7778	1277.95
Total	4720	2177.84	18573	4366.83	23293	6544.67

12000 विद्यार्थियों के लगभग 3000.00 लाख रुपये के केस विचाराधीन है जो अगले 2 माह में वितरित कर दिये जाएंगे।

(घ) वांछित सूचना विभाग में तैयार नहीं की जाती।

Rehabilitation of Canal Net-works in Haryana

***372. Shri Sampat Singh :** Will the Irrigation Minister be pleased to state —

(a) the total amount sanctioned in budget for rehabilitation of Canal Net-works in Haryana for the financial year 2010-2011; the project sanctioned under the scheme and the total amount thereof ; togetherwith the total amount spent under the scheme till today alongwith the individual work completed or to be completed under the scheme till today ; and

(b) the Divisionwise and Circlewise number of sanctioned posts of Beldars, Canal Guards, Gauge Readers, Regulation Beldars, Mates, Pump Operators and Junior Engineers, separately togetherwith the number of vacancies existing of all these categories as on today ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, एक विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

(क) वित्त वर्ष 2010–11 के लिये हरियाणा में नहरी कार्यप्रणाली (केनाल नेटवर्क) के पुन: प्रतिष्ठापन के लिये बजट में 2400.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कोई समेकित परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है, यद्यपि वैयक्तिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। आज तक 7093.44 लाख रुपए की लागत से इस प्रकार की 24 योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। पूरे किये गए अथवा पूरे किये जाने वाले कार्यों की सूचना निम्नानुसार है--

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत	अब तक खर्च की गई राशि
(क)	**पूरा किया गया कार्य**		
1.	मेन लाईन लोअर तथा पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता में सुधार करना	25.00	25.00
(ख)	**प्रगति पर कार्य**		
2.	बालसमन्द सब ब्रांच की बुर्जी 0 से 69840 तक की क्षमता का पुनरुद्धार करना	1542.76	696.50

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत	अब तक खर्च की गई राशि
3.	धरोदी माइनर की बुर्जी 18850–दाएं को भाखड़ा मेन लाईन बरवाला लिंक की बुर्जी 73900–दाएं से जोड़ना (हैंड रेगुलेटर नरवाना जल सेवाएं मण्डल, नरवाना में विद्यमान है)	9.71	—
4.	कैथल सब–माइनर की बुर्जी 0 से 30785 तक का पुनर्वास करना	222.60	125.00
5.	कैथल रजबाह की बुर्जी 0 से 52400 तक पक्की ईंटों की एक सतह की लाईनिंग करना	729.00	15.00
6.	सरस्वती रजबाह की बुर्जी 77500 से 94625 तक के साईड ढलान पर पक्की ईंटों की एक सतह की लाईनिंग करना	241.35	90.00
7.	मालोट सब ब्रांच की बुर्जी 124000 से 156000 तक की क्षमता का पुनरुद्धार करना	275.00	220.00
8.	रोहतक रजबाह की बुर्जी 99930 से 137441 अन्तिम छोर तक का आधुनिकीकरण करना	352.00	200.00
9.	छारा माइनर का पुनर्वास करना	34.31	—
10.	नूना माजरा माइनर का पुनर्वास करना	24.24	—
11.	असान्दा माइनर का पुनर्वास करना	72.00	—
12.	जस्सीया माइनर का पुनर्वास करना	66.00	—
13.	खरैन्टी माइनर का आधुनिकीकरण करना	85.00	—
(ग)	**आरम्भ किये जाने वाले कार्य**		
14.	गावड़ सब–माइनर की बुर्जी 0 से 18990 तक का पुनर्वास करना	70.29	—
15.	सोरखी माइनर की बुर्जी 0 से 26725 अन्तिम छोर तक का आधुनिकीकरण एवं क्षमता बहाल करना	56.40	—
16.	भाखड़ा मेन लाईन बरवाला लिंक की बुर्जी 9502 से 85060 तक, सिरसा ब्रांच की बुर्जी 317550 से 328740 तक का पुनर्वास करना तथा भाखड़ा मेन लाईन की बुर्जी 339350 से 342050 तक एवं 347800 से 352100 तक का पुनर्वास करना	600.00	—

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत	अब तक खर्च की गई राशि
17.	भाखड़ा मेन ब्रांच की बुर्जी 0 से 169800 तक (पंजाब प्रभाग के अतिरिक्त, अक्तूबर, 2010 के बंद के दौरान) का पुनर्वास का कार्य करना	498.56	—
18.	गुड़गांव नहर तथा गुड़गांव फीडर का पुनर्वास करना	984.00	—
19.	दिल्ली समानान्तर ब्रांच की बुर्जी 35600, 78268 9600, 106425 एवं 118037 पर तथा हुलाना रजबाह की बुर्जी 7360, 26640, 36180 के.वी.आर. पुलों का पुनर्वास करना	791.00	—
20.	बी.सी. पाल माइनर का पुनर्वास करना	123.00	—
21.	भरन माइनर का आधुनिकीकरण करना	85.00	—
22.	पिलाना पम्प हाऊस के पम्पों को बदलना	39.33	—
23.	बेहर रजबाह की बुर्जी 16000 से 24918 तक का पुनर्वास करना	57.00	—
24.	गुढ़ान माइनर का पुनर्वास करना	109.90	—
	योग	7093.44 लाख रुपये	1371.50 लाख रुपये

(ख) बेलदारों/केनाल गार्डों/रेगुलेशन बेलदारों, गेज रीडरों, मेटस, पम्प आपरेटरों तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के पृथक–पृथक स्वीकृत पदों की मण्डलवार तथा परिमण्डलवार संख्या, आज तक इन सभी श्रेणियों की विद्यमान रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

(i) मण्डलवार सूची

क्रमांक	मण्डल का नाम	बेलदारों/केनाल गार्डों /रेगुलेशन बेलदारों		गेज रीडर		मेटस		पम्प आपरेटर		कनिष्ठ अभियन्ता	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भाखड़ा जल सेवाएं मण्डल, भिवानी	143	44	14	0	15	0	0	0	20	7
2.	झज्जर जल सेवाएं मण्डल, भिवानी	159	14	14	0	14	0	0	0	15	7

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	सिवानी जल सेवाएं मण्डल, भिवानी	83	15	7	0	8	0	0	0	19	3
4.	लोहारु जल सेवाएं (यांत्रिकी) मण्डल, भिवानी	0	0	0	0	0	0	134	0	12	3
5.	जीन्द जल सेवाएं मण्डल, जीन्द	153	43	18	1	11	0	2	1	15	2
6.	सफीदों जल सेवाएं मण्डल, सफीदों	75	27	7	0	9	0	0	0	15	6
7.	निर्माण मण्डल नं. 28, जीन्द	2	0	0	0	0	0	0	0	12	2
8.	निर्माण मण्डल नं. 1, पंचकूला	8	2	0	0	0	0	1	0	18	3
9.	घग्गर डैम मण्डल, पंचकूला	4	2	5	2	0	0	0	0	5	1
10.	टोहाना जल सेवाएं मण्डल, टोहाना	216	88	15	3	21	10	3	0	15	1
11.	फतेहाबाद जल सेवाएं मण्डल, फतेहाबाद	133	54	10	7	11	7	2	0	15	3
12.	जल सेवाएं (यांत्रिकी) मण्डल, हिसार	0	0	0	0	0	0	53	1	16	4
13.	महेन्द्रगढ़ नहर जल सेवाएं मण्डल, चरखी दादरी	73	19	0	0	6	0	0	0	10	0
14.	महेन्द्रगढ़ नहर जल सेवाएं मण्डल, महेन्द्रगढ़	74	7	0	0	7	4	0	0	12	4
15.	महेन्द्रगढ़ नहर जल सेवाएं मण्डल, नारनौल	75	13	18	16	3	1	0	0	10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	महेन्द्रगढ़ नहर जल सेवाएं (यांत्रिकी) मण्डल, नारनौल	3	0	0	0	0	0	124	13	15	8
17.	निर्माण मण्डल नं. 6, हिसार	5	4	0	0	0	0	0	0	16	11
18.	निर्माण मण्डल नं. 7, हिसार	5	3	0	0	0	0	0	0	20	15
19.	दिल्ली जल सेवाएं मण्डल, दिल्ली	80	39	11	0	5	0	4	2	16	0
20.	इन्टर स्टेट तथा सम्पर्क मण्डल, दिल्ली	4	0	0	0	6	3	5	1	4	0
21.	सतर्कता मण्डल, अम्बाला	2	2	0	0	0	0	0	0	9	2
22.	सतर्कता मण्डल, करनाल	4	0	0	0	0	0	0	0	9	1
23.	सतर्कता मण्डल, सोनीपत	2	2	0	0	0	0	0	0	6	0
24.	सतर्कता मण्डल, कैथल	2	2	0	0	0	0	0	0	9	1
25.	परियोजना मण्डल नं. 3, अम्बाला	3	3	0	0	0	0	0	0	12	4
26.	वाटर डाटा कलैक्शन मण्डल, करनाल	4	2	4	0	0	0	0	0	9	3
27.	हिसार जल सेवाएं मण्डल, हिसार	212	46	15	3	18	6	2	0	15	2
28.	आदमपुर जल सेवाएं मण्डल, हिसार	121	27	10	0	10	0	14	0	16	4
29.	हांसी जल सेवाएं मण्डल, हांसी	132	4	10	0	13	0	0	0	19	7

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	कर्मशाला मण्डल, करनाल	10	7	0	0	0	0	15	0	15	3
31.	प्रक्योरमैंट एवं निपटान मण्डल, पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2
32.	रोहतक जल सेवाएं मण्डल, रोहतक	240	36	12	3	20	10	9	0	23	0
33.	सांपला जल सेवाएं मण्डल, रोहतक	86	9	9	1	8	2	3	0	19	0
34.	जल सेवाएं (यांत्रिकी) मण्डल, रोहतक	114	30	9	0	12	2	23	0	12	5
35.	निर्माण मण्डल नं. 21, रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
36.	निर्माण मण्डल नं. 30, गोहाना	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
37.	गोहाना जल सेवाएं मण्डल, गोहाना	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5
38.	एस.वाई.एल. जल सेवाएं मण्डल, अम्बाला	51	0	7	0	7	3	18	3	20	3
39.	अम्बाला जल सेवाएं मण्डल, अम्बाला	20	0	0	0	2	0	0	0	15	2
40.	कुरुक्षेत्र जल सेवाएं मण्डल, कुरुक्षेत्र	118	0	8	1	7	0	12	2	25	7
41.	रेवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन जल सेवाएं मण्डल, झज्जर	25	16	5	5	1	1	3	2	16	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	झज्जर जल सेवाएं मण्डल, झज्जर	118	62	8	2	10	0	16	7	20	2
43.	निर्माण मण्डल नं. 19, रोहतक	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
44.	जल सेवाएं फीडर मण्डल, रोहतक	117	37	1	0	11	0	1	0	15	2
45.	करनाल जल सेवाएं मण्डल, करनाल	150	22	10	4	12	1	1	0	15	1
46.	इन्द्री जल सेवाएं मण्डल, करनाल	92	14	2	1	9	0	1	0	15	1
47.	पानीपत जल सेवाएं मण्डल, पानीपत	158	34	13	2	17	0	1	0	20	2
48.	निर्माण मण्डल नं. 17, करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3
49.	लोहारु जल सेवाएं मण्डल, भिवानी	70	0	5	4	9	1	0	0	15	7
50.	बौंद जल सेवाएं मण्डल, भिवानी	140	54	12	1	3	0	0	0	14	0
51.	लोहारु जल सेवाएं मण्डल, चरखी दादरी	90	5	8	5	9	0	0	0	15	7
52.	लोहारु जल सेवाएं (यांत्रिकी) मण्डल, चरखी दादरी	0	0	0	0	0	0	78	10	12	7
53.	कर्मशाला मण्डल, चरखी दादरी	0	0	0	0	0	0	7	0	12	3
54.	जल सेवाएं मण्डल, सोनीपत	75	50	4	0	11	1	9	0	15	0

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	राई जल सेवाएं मण्डल, सोनीपत	75	27	6	3	10	5	0	0	15	1
56.	निर्माण मण्डल नं. 23, करनाल	2	1	0	0	0	0	0	0	16	2
57.	निर्माण मण्डल नं. 24, पानीपत	2	1	0	0	0	0	0	0	12	3
58.	जल सेवाएं मण्डल, गुड़गांव	2	2	0	0	0	0	0	0	12	7
59.	जल सेवाएं मण्डल, सिरसा	105	26	6	3	8	5	0	0	15	7
60.	रोड़ी जल सेवाएं मण्डल, सिरसा	125	44	8	3	12	8	0	0	15	5
61.	नहराना जल सेवाएं मण्डल, सिरसा	105	36	6	3	6	2	2	0	19	8
62.	घग्गर जल सेवाएं मण्डल, सिरसा	106	43	5	3	12	3	0	0	19	4
63.	कैथल जल सेवाएं मण्डल, कैथल	98	11	8	0	4	0	1	0	15	4
64.	पुण्डरी जल सेवाएं मण्डल, कैथल	144	8	12	0	13	0	2	0	20	6
65.	जल सेवाएं मण्डल, नरवाना	150	12	15	0	13	0	1	0	19	3
66.	बी.एम.एल. मण्डल, कैथल	6	0	0	0	4	0	1	0	16	5
67.	जल सेवाएं मण्डल नं. 1 रेवाड़ी	95	4	8	8	5	0	0	0	15	2
68.	जल सेवाएं मण्डल नं. 2 रेवाड़ी	80	2	7	6	8	0	0	0	15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	जल सेवाएं (यांत्रिकी) मण्डल, रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	85	26	12	0
70.	निर्माण मण्डल नं. 33 रेवाड़ी	5	2	0	0	0	0	0		16	5
71.	निर्माण मण्डल नं. 26, गुड़गांव	5	3	0	0	0	0	0	0	16	14
72.	निर्माण मण्डल नं. 31, गुड़गांव	4	2	0	0	0	0	1	0	12	4
73.	निर्माण मण्डल नं. 32, गुड़गांव	2	0	0	0	0	0	0	0	12	2
74.	गुड़गांव जल सेवाएं मण्डल, गुड़गांव	8	3	0	0	0	0	0	0	12	6
75.	सतर्कता मण्डल, रोहतक	4	4	0	0	0	0	0	0	9	0
76.	सतर्कता मण्डल, हिसार	2	2	0	0	0	0	0	0	9	1
77.	सतर्कता मण्डल, सिरसा	2	2	0	0	0	0	0	0	9	2
78.	सतर्कता मण्डल, रेवाड़ी	2	1	0	0	0	0	0	0	12	5
79.	हथनीकुण्ड बैराज मण्डल नं. 1, जगाधरी	10	5	0	0	0	0	0	0	12	6
80.	जल सेवाएं मण्डल, जगाधरी	19	0	0	0	4	0	5	1	19	4
81.	दादूपुर जल सेवाएं मण्डल, दादूपुर	51	4	12	3	2	0	2	0	15	1
82.	निर्माण मण्डल नं. 14, कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3
83.	निर्माण मण्डल नं. 3, कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.	जल सेवाएं मण्डल, फरीदाबाद	70	0	7	1	4	0	0	0	15	0
85.	जल सेवाएं (यांत्रिकी) मण्डल, पलवल	80	0	3	0	4	0	0	0	16	4
86.	नूंह जल सेवाएं मण्डल, नूंह	90	0	8	3	11	0	0	0	20	8
87.	जल सेवाएं (यांत्रिकी) मण्डल, फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	40	6	20	9
(ii)	**परिमण्डलवार सूची**										
1.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी	385	73	35	0	37	0	134	0	66	20
2.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जीन्द	230	70	25	1	20	0	2	1	42	13
3.	निर्माण परिमण्डल, पंचकूला	12	4	5	2	0	0	1	0	23	4
4.	भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल नं.–II, हिसार	349	142	25	10	32	17	58	1	46	8
5.	जे.एल.एन. जल सेवाएं परिमण्डल, नारनौल	225	39	18	13	16	1	124	13	47	14
6.	निर्माण परिमण्डल, हिसार	10	7	0	0	0	0	0	0	36	26
7.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, दिल्ली	84	39	11	0	11	0	9	3	20	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	सतर्कता परिमण्डल, पंचकूला	10	6	0	0	0	0	0	0	33	4
9.	परियोजना परिमण्डल, पंचकूला	7	5	4	0	0	0	0	0	21	7
10.	भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल नं. 1, हिसार	465	77	35	0	41	6	16	0	50	13
11.	कर्मशाला परिमण्डल, करनाल	10	7	0	0	0	0	15	0	24	5
12.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, रोहतक	440	75	30	3	40	14	35	0	94	5
13.	एस.वाई.एल. जल सेवाएं परिमण्डल, अम्बाला	189	0	15	1	16	0	30	4	60	12
14.	झज्जर जल सेवाएं परिमण्डल, झज्जर	260	115	15	7	22	0	20	9	65	10
15.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, करनाल	400	70	25	7	38	1	3	0	66	7
16.	लोहारु जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी	300	59	25	10	21	0	85	10	68	24
17.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, सोनीपत	156	81	10	3	21	1	9	0	70	13
18.	भाखड़ा जल सेवा परिमण्डल, सिरसा	441	149	25	12	38	18	2	0	68	24
19.	भाखड़ा जल सेवा परिमण्डल, कैथल	398	31	35	0	34	0	5	0	70	18

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	जे.एल.एन. जल सेवाएं परिमण्डल, रेवाड़ी	180	8	15	14	13	0	85	26	58	9
21.	निर्माण परिमण्डल, गुड़गांव	19	8	0	0	0	0	1	0	52	26
22.	सतर्कता परिमण्डल, रोहतक	10	9	0	0	0	0	0	0	39	8
23.	हथनीकुण्ड बैराज परिमण्डल, जगाधरी	80	9	12	3	6	0	7	1	73	22
24.	यमुना जल सेवाएं, परिमण्डल	240	0	18	2	19	0	40	6	71	21

Repair of Roads

***410. Shri Ghanshyam Saraf :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the roads from Bhiwani to Jind, Bhiwani to Hansi, Bhiwani to Loharu and Bhiwani to Charkhi Dadri are in damaged condition; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government for the repair/reconstruction of the aforesaid roads in the near future ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी, इन सड़कों के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। निकट भविष्य में लगभग 20.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके इन सड़कों की आवश्यक मरम्मत की जायेगी।

Repair of Roads by HSAMB

***546. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that all the roads belonging to the HSAMB (Market Committee Yamunanagar) are lying damaged; if so, whether there is any proposal to repair the aforesaid roads?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) जी नहीं, श्रीमान।

28.23 किलोमीटर लम्बाई की 18 सड़कों की मरम्मत का कार्य 205.97 लाख रुपये की लागत से पूरा किया गया है तथा 14.16 किलोमीटर लम्बाई की 8 सड़कों की मरम्मत

का कार्य 131.35 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 31.7.2011 तक पूरा होने की संभावना है। मार्किट कमेटी यमुनानगर की शेष सड़कों की मरम्मत का कार्य, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

Pollution Level in Gurgaon Canal

***393. Shri Aftab Ahmed :** Will the Environment Minister be pleased to state—

(a) the details of measures being taken by the Government to reduce the high levels of pollution in the water flowing into the Gurgaon Canal from Yamuna ;

(b) the current level of pollution in the Gurgaon Canal; and

(c) the time by which clean water for irrigation in Gurgaon Canal is likely to be supplied?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, इस बारे वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

वक्तव्य

(क) गुड़गांव नहर में बहने वाले जल में प्रदूषण का उच्चस्तर मुख्यतः देहली क्षेत्र में यमुना नदी में देहली तथा उत्तर प्रदेश के 26 नालों के परिशोधित न किये गए/आंशिक परिशोधित जलप्रवाहों के डिसचार्ज के कारण है। अन्तर्राज्यीय प्रदूषण समस्या होने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह मामला विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहली के राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है।

(ख) गुड़गांव नहर में बदरपुर के पास बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी) के संदर्भ में प्रदूषण का वर्तमान स्तर 3.0 मिलीग्राम प्रति लिटर की अनुज्ञेय सीमा की तुलना में लगभग 30 मिलीग्राम प्रति लिटर है।

(ग) एक अन्तर्राज्यीय प्रदूषण समस्या होने के कारण इसके लिए इस स्तर पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is-

> That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker : Question is-

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House-

> The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/18/2008 1st Amendement/ 2010, dated the 6th October, 2010, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2008-2009, as required under sections 104(4) and 105(2) of the Electricity Act, 2003.(Interruption)

Mr. Speaker : I will allow you. (Interruption) I will definitely allow you Mr. Chautala. Please let me complete the legislative business.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप बिजनैस पास कर रहे हैं । इसके बाद आप कब अलाऊ करेंगे ?

Mr. Speaker : I will let you speak. It is the promise of the Chair that I will allow you to speak. (Interruption) Even otherwise I can.

आरक्षण/वैयक्तिक स्पष्टीकरण संबंधी मामला उठाना

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम जीरो अवर में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाना चाहते हैं । आप बिजनैस बाद में करते । आज पूरे प्रदेश के लोगों की चिंता के साथ-साथ दूसरे लोगों की चिंता का विषय भी है । जाट आरक्षण के लिए जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा और न ही उनसे कोई बातचीत की जा रही है । मुख्यमंत्री जी एक चिट्ठी की बात करके इस सारे मामले को नजरअंदाज करने की बात कर रहे हैं ।

Mr. Speaker : Are you asking about the 'Jat Aarakshan'?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार बार-बार गुमराह करने का प्रयास कर रही है और अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही है ।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़के) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की स्थिति बिलकुल स्पष्ट है । सच बात तो यह है कि आई.एन.एल.डी. इस मुद्दे पर पूर्णतः मौन है । (Interruption)

Mr. Speaker : Let him complete, then you say. Ajay Chautala Ji, please. What happened in Meham? आप महम गये थे क्या?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : सर, मैं महम भी गया था।

श्री अध्यक्ष : वहां नहीं कहा आपने?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अपनी बात कह रहा हूं । महम इससे बड़ा प्लेटफार्म तो नहीं है । मैं सदन में कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी जिस चिट्ठी का हवाला देकर इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं उसकी बजाय हाउस में एक स्पष्ट रैजोल्यूशन लेकर आयें कि केन्द्र सरकार हरियाणा प्रदेश के जाटों को भी यू.पी. की तर्ज पर आरक्षण देने का काम करे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अभी माननीय सदस्य श्री अजय चौटाला जी को अपनी बात तो पूरी कर लेने दें ।

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, श्री अजय चौटाला जी की बात तो पूरी हो चुकी है अभी श्री अशोक अरोड़ा जी की बात पूरी होनी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, क्या हम श्री नरेश कुमार बादली जी से पूछकर बोलेंगे । सर, आप श्री नरेश कुमार जी को बैठने के लिए कहें । (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Naresh, please be seated. (Noise & interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, क्या हमें बोलने से पहले श्री नरेश कुमार से पूछना होगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर सर, विपक्ष के माननीय साथियों को सत्तापक्ष के किसी मैम्बर को ऐसे नहीं धमकाना चाहिए ।

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, ये माननीय सदस्य कैसी बातें कर रहे हैं ।

Mr. Speaker : Mr. Ajay Chautala, you may continue please. (Interruption) That's bad. Don't say 'देखने वाली बात' । Yes, Mr. Ajay Chautala. (Noise & interruption) Hon'ble Members, please go to your seats. (Noise & interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

Mr. Speaker : Every Member, please listen. No talking please. Hon'ble Members, today this is the last day of the Session and we worked in extreme working conditions because everybody knew his responsibility as a legislator in the House.

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया करके हिन्दी में बोलें ताकि आपकी बात सभी माननीय सदस्यों की समझ में आ जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, दांगी जी । माननीय सदस्यों, मैं यह कह रहा था कि किसी भी सदन को ठीक ढंग से चलाने का दायित्व केवल मात्र एक स्पीकर की कुर्सी के साथ बंधा नहीं होता बल्कि हरेक सदस्य का व्यक्तिगत व्यवहार भी सदन को चलाने में सहायक होता है । लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराएं तब ही निर्वाहित होती हैं जब सभी सदस्य अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों को भी पहचाने । यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि इस सदन में कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य को 'देख लेने' की बात कहे । कोई भी सदस्य एक दूसरे के प्रति अपशब्दों

का इस्तेमाल करे, इससे सदन की गरिमा टूटती है और जब सदन की गरिमा टूटती है तो प्रत्येक सदस्य जिससे यह सदन बनता है उसकी गरिमा भी नहीं रहती है। मैं स्पष्ट रूप में यह कहना चाहता हूं कि जिस भी माननीय सदस्य ने जिसको भी देखना है और जब देखना है वह इस सदन से बाहर जाकर अपना समय निश्चित करे। सदन के अन्दर एक दूसरे को 'देख लेने' वाली बातें जिसने भी कही हैं उसने इस सदन को शर्मसार किया है और इससे सबका सिर झुक गया है। एक सम्मानित सदस्य बोल रहे हों, भले ही उनकी बात में कटाक्ष हो लेकिन भाषा में अगर वॉयलैंस आता है, भाषा में यदि हिंसा हो तो बहुत बुरी बात है। पण्डित लख्मी चंद ने कहा है -

''बोल-चाल सा आनंद कोन्या अर बोली जैसी ठेस नहीं,
हत्या जैसा पाप जगत में कत्ल जैसा कोई केस नहीं।''

कड़वे बोल बोलने से तो महाभारत तक हो गई थी। माननीय सभासदो, आप सभी मुझसे ज्यादा इस सदन की गरिमा के बारे में जानते हैं। मेरा निवेदन है कि जिसने भी जिसको भी 'देख लेने' की बात कही है यह उसका बड़प्पन होगा कि वह अपनी कही हुई बात को वापिस ले और भविष्य में मुझे इस बात का आश्वासन दे कि इस प्रकार की बात इस सदन में नहीं होगी। क्षमा मांगने से या अपनी बात वापिस लेने से आदमी बड़ा बनता है। गलतियां हमेशा ही सुधारी जाती हैं और वही व्यक्ति बड़ा होता है जो अपनी गलतियों को सुधारता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को दोहराता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए जिसने पहले कहा वह पहले अपनी बात वापिस ले ले और जिसने बाद में किया वह बाद में अपनी बात वापिस ले यह मेरी आपसे गुजारिश है। हम अच्छे माहौल और सद्भाव के साथ इस सदन में बैठे हैं और बैठते रहे हैं और बैठते रहेंगे लेकिन आज आखरी दिन इस प्रकार के प्रदर्शन ने मुझे दुखी किया है। I am at pain. मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे बड़ी आशाएं हैं। मेरा सहयोग विपक्ष और ट्रेजरी दोनों बैंचिज के लिए बराबर रहा है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसी ने 'देखने की' बात कही है तो मैं समझता हूँ कि मुझे कही है इस बात को आगे से ध्यान में रखना। आगे से अगर किसी सदस्य ने किसी दूसरे सदस्य को यह कहा कि 'मैं देख लूँगा' तो मैं समझूँगा उसने स्पीकर को कहा है, यह नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के लिए आपकी सराहना करते हैं कि पहली बार आपने सदन की कार्यवाही इस ढंग से चलाई कि न किसी को वार्निंग दी गई और न किसी को नेम किया गया और न किसी को सदन से बाहर किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्पीकर के पद की गरिमा को कायम रखते हुए विट्ठल भाई पटेल, मावलंकर और आनन्द साहेब आयंगर जैसे स्पीकरों के नक्शे कदम पर चलेंगे। हम यह उम्मीद नहीं रखते कि ****

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता को ये कंट्रोवर्शियल रिमार्कस नहीं बोलने चाहिएं जब हम आपके कहने से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जायें।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप अगर इस पर कंट्रोल कर लो तो सारा ही कंट्रोल हो जायेगा । ये मनमर्जी से खड़े हो जाते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चौटाला साहब, आप अगर अपने मन पर कंट्रोल कर लो, मेरे से बड़े हो बुजुर्गकार हो, तो भी काम चल पड़ेगा । ये अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लें तो हाउस ठीक चलेगा । (शोर एवं व्यवधान)

चौ. ओम प्रकाश चौटाला : आपने उस परम्परा को समाप्त करने का निर्णय लिया है, हम इसके लिए आपकी सराहना करते हैं। यह केवल आज नहीं हुआ है यह परम्परा तो निरन्तर चल रही है कि आपकी अनुमति के बिना लोग खड़े हो कर बोलते हैं तथा कुछ लोग दूसरों को हाथ का इशारे करके खड़ा करने का काम करते हैं । यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है, इससे सदन की गरिमा कम होती है । हम चाहते हैं कि सदन बहुत अच्छे ढंग से चले तथा हम उसके लिए आपकी सराहना करेंगे कि आपने हाउस बहुत अच्छे माहौल में चलाया लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाये। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि किस बात को लेकर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर किया जाता है । इसलिए आप सारे विधायकों का एक ट्रेनिंग कैम्प लगायें और उनको समझायें । कुछ लोग अपनी मनमर्जी से खड़े हो जाते हैं, इस भाषा को नहीं समझते और सारे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं । चाहे कोई कुछ भी बोलता रहा हो, हमारी बैंचों की तरफ से कभी इंट्रप्ट नहीं किया गया जबकि ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से लगातार इंट्रप्ट किया जाता है, मनमर्जी से खड़े हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी अनुमति के बिना कोई खड़ा हो सकता है ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I did not allow to be recorded whatever said without my permission.

चौ. ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह नरेश आपकी अनुमति के बिना कैसे खड़ा हो गया था । आपने संसदीय कार्य मंत्री को कह रखा था और वे बोल रहे थे और श्री सम्पत सिंह जी बोल रहे थे । उसे क्या अधिकार था कि वह बिना आपकी परमिशन के खड़ा हो गया । अगर इस प्रकार की भाषा कोई दूसरा बोलेगा तो फिर दूसरे नहीं बोलेंगे । इसलिए यह आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, day before yesterday Shri Ajay Singh Chautala, a Member of this House came out with such a model code of conduct which I welcomed him and now Mr. Chautala, Hon'ble Leader of Opposition present in the House is saying and also suggested that there should be a training programme for Members of this House to know the working of the House. We are taking action about it so that before we meet in the next Session, we have a training programme to know when a supplementary is made or not, what is the point of order, so that we come within the ambit of rules framed by this House. Now, Mr. Ajay Singh Chautala has made a statement on Jat agitation for reservation. Shri Om Prakash Chautala also gave the same suggestion. Now, I would only invite the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister to speak. (Interruption).

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Please sit down. I am standing, so please sit down.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात का जबाव नहीं दे रहा हूं। चौटाला जी इसके बाद बोल लें। सर, आपने कुछ बात कही और चौटाला जी ने भी कोई बात कही, मैं कुछ सुझाव सरकार की तरफ से देना चाहता हूं। उसके बाद ये जो बात कहेंगे उसका जबाव हम देंगे। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य प्रणाली की अपनी मर्यादाएं हैं और उन संसदीय कार्य प्रणाली की मर्यादाओं का निर्वहन आपने बेहतरीन तरीके से किया है इसमें कोई दो राय का प्रश्न ही नहीं है। सरकार की तरफ से अटमोस्ट रिसट्रेन्ट एक्सरसाइज करके इस सदन के अंदर लगातार पिछले 6 वर्षों में (समेत इस सत्र के अंदर) मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सभी सदस्यगणों द्वारा यह कोशिश की गयी है कि हम अपने विपक्ष के साथियों को साथ लेकर चलें। Even at the cost of having some personal attacks we have exercised utmost restraint and we have ensured that we have to carry our friends from opposition with us. सर, कोई भी सरकार और कोई भी सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समन्वय से ही चल पाएगा। विपक्ष के नेता भी हमेशा इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर, हम हमेशा उनके लिए सम्मानीय चौटाला जी का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो रिकार्ड निकलवाकर देख लें। हम भी चुनकर आए हैं और ये भी चुनकर आए हैं। वे हमसे उम्र में बड़े हैं इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि वे भी दूसरों को सम्मान देंगे लेकिन हम उस स्तर पर नहीं उतरेंगे क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह ट्रेनिंग नहीं है। हम अपने से बड़े व्यक्ति का सम्मान करेंगे चाहे वह भाषण की बात करें, चाहे इसकी बात करे और चाहे वह हमें 'ओ' कहकर बोलें। सर, जो पिछले पांच सालों में इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वह सब इस सदन के पटल पर है। परन्तु कांग्रेस के साथियों को बार-बार मुख्यमंत्री जी और हम सब सारे साथी विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि सब साथी चाहे चौटाला जी हों, चाहें उनकी पार्टी का सबसे नया सदस्य भी हो, हम उसको भी आदरणीय शब्द कहकर बोलते हैं और 'जी' कहकर भी बोलते हैं। इस स्तर पर इस सदन की कार्यवाही को हम नहीं लेकर आएंगे। मैं आपको ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से ऐश्योर करना चाहता हूं। सर, व्यक्तिगत कटाक्ष भी यहां किये जाते हैं परन्तु उसके बावजूद भी हम लेवल ऑफ डिबेट को एक लेवल से नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। सर, एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर से मुझे, इस सदन के सब सदस्यों को आपके समेत, दो बातों की पीड़ा हुई है। पहली बात तो यह कि एक माननीय सदस्य के द्वारा जो हमारे विपक्ष में मित्र हैं, प्वायंट ऑफ आर्डर रेज किया गया लेकिन वह प्वायंट ऑफ आर्डर था या नहीं, इसमें आपकी रूलिंग होगी। चौटाला जी ने अभी-अभी यह कहा कि उन्होंने किसी ट्रैजरी बेंचिज के मैम्बर को डिस्टर्ब नहीं किया। सर, आपने देखा होगा कि फाईनैंस मिनिस्टर कल जब बोल रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि वे तीस सैकेंड भी बगैर इंट्रप्शन के बोले होंगे। हर पांच सैकेंड के बाद विपक्ष के एक-एक सदस्य खड़े होकर

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
फाईनेंस मिनिस्टर को डिस्टर्ब कर रहे थे । परन्तु न हमने, न इन्होंनें और न हमारे किसी सदस्य ने गुस्सा जाहिर किया। We never lost our temper. It is the part of the democracy. It is their right. But it is your right to give him a chance or not. शर्मा जी किसी विषय पर प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़े हुए या कोई सुझाव देने के लिए खड़े हुए तो मैं अपने आप से पूछता हूं क्योंकि मैं भी इस सदन का सदस्य तीन बार से रहा हूं कि क्या कोई भी सदस्य यहां बड़ा या छोटा भी है ? सर, चेयर की तरफ से सब सदस्य बराबर हैं चाहें वह पांच बार इलैक्ट हुआ हो या वह पहली बार इलैक्ट होकर आया हो। क्या अपने सुझाव देने का अधिकार नरेश शर्मा जी को नहीं है ? परन्तु विपक्ष के एक साथी के द्वारा यह कहा जाए कि 'तू बाहर चल मैं तुझे देख लूंगा', यह पूर्णत: अशोभनीय है । (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले उन्होंने कहा है कि 'तुझे देख लूंगा'। उन्होंने मुझे कहा है । इनकी इस तरह की बात ठीक नहीं है । आप माहौल ठीक कर रहे हैं लेकिन ये इस तरह की बात कर रहे हैं । (विघ्न) उन्होंने मुझे पहले कहा है ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, किसी साथी के द्वारा वैल में आकर कहा जाए और बाहर ले जाकर मैन हैंडलिंग की बात की जाए तो क्या यह शोभनीय है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये इस बारे में माफी मांगे, तभी यह बात आगे चलेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने यह बात कही कि 'मैं देख लूंगा' तब मैंने कहा है कि 'कहां देखना चाहते हो, बताओ तो सही, किसको देखना चाहते हो' । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो बात चल रही है उस बात को अब यहां खत्म किया जाए कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वह कहा। That should be closed. आगे सब ठीक हो।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर एंड पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन । (विघ्न) मेरी गैर हाजिरी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा मेरा नाम लिया गया और कहा गया कि आप भी मेरी तरह से सदन को चलाना चाहते हो क्या ? ऑनरेबल स्पीकर सर, यह रिकार्ड की बात है कि आज जिस चमकते हाउस में आप बैठे हो, यह मेरे समय में रैनोवेट हुआ है । जहां तक टाइम की अलोकेशन की बात है । पिछला रिकार्ड है उस टाइम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के उनके सहित नौ सदस्य चुनकर इस सदन में आए थे । नौ सदस्यों को जितना टाइम दिया गया है वह अपने आप में इतिहास में एक रिकार्ड है, इतना टाइम कभी भी अपोजीशन को नहीं दिया गया । जहां तक ऑल इंडिया स्पीकर्ज कांफ्रेंस की बात है, यह मेरे टाइम में यहां हुई । जबकि पहले हरियाणा को छोटी विधान सभा होने के नाते इस स्टैंडर्ड में नहीं समझा जाता था और कहा जाता था कि पूरे हिंदुस्तान के स्पीकर्स की कांफ्रेंस यहां आर्गेनाइज नहीं हो सकती, उसके बावजूद हमारे पास इतने सारे प्रेजेज लैटर्स आए हैं । हमने ऐक्सट्रा ऑर्डिनरी

तरीके से माननीय मुख्यमंत्री और सरकार की मदद से उस कांफ्रेंस को सक्सेसफुल बनाया और हरियाणा का पूरे देश में यह संदेश गया कि Haryana has the capacity to organize such a nice and exemplary function. इस तरह की जो बात चौटाला जी ने कही है मैं उनको कहूंगा कि वे अपने शब्द वापस लें। या फिर ये बताएं कि मेरा भूत इनको कब छोड़ेगा । (विघ्न) आदरणीय अध्यक्ष महोदय इसके साथ ही साथ मैं आपकी परमीशन से यह भी कहना चाहूंगा ताकि उस बारे में सिचुएशन बद से बदतर न हो, हालात आज ऐसे हो गए हैं, आज एक फार्मिंग क्लास ऐजीटेशन पर बैठी है। (विघ्न) (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन दे चुके हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, एक तो दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा है और ला एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन की बात है, सोश्यो इकोनोमिक कंडीशन की बात भी है । रहबरेआजम सर छोटू राम जी ने भी इस बारे में लिखा है। (विघ्न) सर, हाउस इन प्रौग्रेस है, ऐजीटेशन चल रहा है । अध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन से यह बात मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी ने एक गुरनाम कमीशन बैठाया था । (शोर एवं व्यवधान) उस गुरनाम कमीशन की रिपोर्ट भी आई है। जाट जो फार्मिंग क्लास है, उनको ओ.बी.सी. में शामिल करने के लिए रिकमंडेशन दी है। तीन आदमियों का कमीशन था । अध्यक्ष महोदय, आज विचार करने योग्य विषय यह है कि किसान की जोत छोटी हो गई है और लागत ज्यादा है और हरियाणा की बहुत बड़ी क्लास गरीबी और गुरबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। (शोर एवं व्यवधान) आज हर छोटा-बड़ा किसान कर्जे के नीचे दबा पड़ा है। कल मैम्बर पार्लियामेंट श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह सवाल पार्लियामेंट में उठाया था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की रिकमैण्डेशन भारत सरकार को भेजी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में एक लाईन का प्रस्ताव पारित हो जाये कि जाटों को ओ.बी.सी. में शामिल किया जाये । सदन में विपक्ष के साथी यह कह रहे हैं और ये स्टेज पर कोई दूसरी बात कहते हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए स्टेज पर कुछ और कहते हैं और यहां पर कुछ कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं पहले अजय सिंह चौटाला जी की बात सुन लूं । आपने अपना सुझाव दे दिया है । Minister may please note down his suggestion. इसलिए आप प्लीज बैठिये ।

डा. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन की बात थी वह बात आ चुकी थी लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से मामला लाया जाएगा तो वह बात ठीक नहीं है ।

Mr. Speaker : Ajay ji, I have already requested him a number of time. He is a senior member. He has been a Speaker himself. I requested a number of times but he did not sit.

डा. अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी यह मामला बहुत सीरियस है और बहुत लम्बे समय से हरियाणा प्रदेश के लोग सड़कों और रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं उन लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही है और न ही इस बात का कोई समाधान ढूंढा जा रहा है । चौधरी देवीलाल जी ने गुरनाम सिंह कमीशन बैठाया था और उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया था । जिस तरीके से उस रिपोर्ट को लागू किया गया था मुख्यमंत्री जी आप उसी रिपोर्ट को लागू करने के लिए काम करें । इसके लिए प्रस्ताव लेकर आयें और उस में चाहे कोई ब्राह्मण हों, पंजाबी हों चाहे किसी और कास्ट के हों जिनके घरों में दूसरे वक्त की रोटी नहीं बनती इसलिए इसको आर्थिक आधार पर उन्हें आरक्षण का लाभ मिले और हरियाणा प्रदेश में जाटों को उत्तरप्रदेश की तर्ज पर केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में ओ.बी.सी. का आरक्षण का लाभ मिले। इसके लिए सरकार प्रस्ताव लेकर आये हम उसके लिए तैयार हैं ।

डा. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया । जिस प्रकार सदन के पटल पर मैंने एक बात कही थी कि इसमें जाटों को ओ.बी.सी. में शामिल किया जाए । जाट एक कॉस्ट नहीं है, जाट एक क्लास है । यहां एक ऐसे हालात भी थे जब यह फारमर्ज क्लास गरीबी और गुरबत की जिन्दगी जीए जा रहे थे । उस समय ऐजूकेशन नहीं थी और इनकी कमाई को साहूकार आदमी पैरों में से उठा ले जाते थे। जो आदमी सुबह 4 बजे उठकर शाम को दस बजे तक काम करता हो उसके राह में कांटे आते हैं जानवर-सांप की परवाह किये बगैर खेतों में साढ़ और जेठ की तपती गर्मी में जलजलाती गर्मी में इस देश का पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं । स्पीकर सर, वह इलाका नेशनल डिफैंस के लिए भी रिजरवायर है क्योंकि इस इलाके का बेटा बर्फीली चट्टानों में इस देश की रक्षा करता है । ऐसे समय में जब आज एक हालात फिर ऐसी हो रही है लॉ एण्ड आर्डर की बात है क्योंकि हरियाणा प्रदेश नेशनल कैपिटल से तीन तरफ से घिरा हुआ है और जुड़ा हुआ है ऐसे हालात में मैं आपसे यही कहूंगा कि irrespective of the caste, creed and race इस सदन के सभी मैम्बरान साथ दें क्योंकि the bold persons, the brave persons are those who help the downtrodden and to help the poor. गरीब और गुरबत में रहने वाले लोगों की जो मदद करता है उसको ब्रेव आदमी कहते हैं क्योंकि इतिहास हमें भी माफ नहीं करेगा अगर हम इस बात को लेकर आज जो escapism की थ्योरी को हम अपना रहे हैं । एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि 'Face the facts squarely otherwise the facts will stab you in the back'. इस बात के लिए there must be an equitable distribution of all the things among the masses and उस कंसैप्ट के आधार पर फार्मिंग क्लास को ओ.बी.सी. में शामिल करने के लिए रैजोल्यूशन पास किया जाए ।

12.00 बजे

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, यह आपका पब्लिक स्टैंड भी होता है या फिर यहीं बोलने के लिए होता है ।

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक में भी है और यहां भी है। यहां है तो पब्लिक भी है क्योंकि हाउस जो है वह पब्लिक का रिप्रैजेंटेटिव होता है।

Mr. Speaker : But I did not see it anywhere.

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Everywhere, Sir. It is not questionable that मेरा स्टैंड कहां है, कहां नहीं । We are not hypocrates but we are straightforward. अध्यक्ष महोदय, मेरा बाप तो 14 साल का हाली लगा था । हाली का बेटा यूनिवर्सिटी में जहां किसानों की बात पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है वहां 16 साल तक प्रोफेसर रहा और 24 साल पहले इस हाउस में आया था । आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं और हर जगह यह बात कह रहा हूं कि जाट एक फार्मिंग क्लास है । मेरा अपना स्टैंड हो सकता है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी रिकमैंडेशन भेज दी । दीपेन्द्र हुडा ने भी उसको पार्लियामैंट में मजबूती से उठाया है । मैं भी इस बात को मजबूती से कहता हूं कि हाउस इस रैजोल्यूशन को पास करे । जाट एक फार्मिंग क्लास है इसलिए मेरी सदन से रिक्वैस्ट है कि उनको गरीबी गुरबत से उभारने के लिए, सोशल इक्यूलीब्रियम लाने के लिए, उनकी सोशियो-इक्नोमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इनको ओ.बी.सी. में शामिल किया जाए ।

Mr. Speaker : I have examined the rules of this House. As per rules, any Member who wants a unanimous resolution in the House and wants to resolve something, he can only be allowed to do so, if he brings written motion in this regard. As there is no written resolution with me, simply on discussion I can't.

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Sir, there is a provision. Suo moto motion can also come on the floor of the House. Not necessary that a written motion must be there. It is my verbal motion.

Mr. Speaker : It is a suggestion from you as well as from Shri Ajay Singh Chautala. There is no resolution with me but I want a resolution to be in writing.

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करें ।

Mr. Speaker : It is not in written motion.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव सरकार लाए हम अनुमोदन करते हैं ।

Dr. Raghuvir Singh Kadian : No, Sir. Any private Member can move the motion.

Mr.Speaker : There are only oral requests. There cannot be any resolution only on oral requests. I will consider it, if I receive a motion in writing. Hon'ble Parliamentary Affairs Minister may kindly clarify this issue.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रघुवीर सिंह कादियान जी ने और अजय सिंह चौटाला जी ने इस बारे में अपनी-अपनी बात कही । दोनों ने अपनी-अपनी चिंता व्यक्त की और दोनों ने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की । डाक्टर साहब जो खुद एक जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, इनका अपना एक तजुर्बा है और भाई अजय सिंह चौटाला जी का भी अपना तजुर्बा है । इस समय जाट आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी है। इसको लेकर दोनों ने अपने-अपने सुझाव दिए । इससे पहले भी सदन में अरोड़ा जी बैठें हैं जब वे बजट पर या गवर्नर एड्रस पर बोले थे तो उन्होंने भी यह मामला उठाया था । उन्होंने यह कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए । जिसको दोबारा इस सदन में दोहराने का प्रयास भी किया गया । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संक्षिप्त में यह बताना चाहूंगा कि आरक्षण संविधान के अंदर फंडामैंटल राइटस का हिस्सा है। It is actually an exception to Article 14 provided for Article 15 and 16 of Constitution of India और उनमें यह स्पष्ट लिखा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, आर्थिक आधार पर जहां तक आरक्षण की बात है . . . (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय , इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं क्लीयर करना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : He is just referring and it is not an allegation. It is a reference. इन्होंने आप पर कोई एलीगेशन नहीं लगाया ।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, there is no allegation.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा था *******

Mr. Speaker : I know what he said. It is a matter of record. There is no allegation. I will request you not to make any interruption. अरोड़ा साहब जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन की मर्यादाएं नहीं चल पायेंगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Shri Arora ji, your leader has only suggested and you are violating your own leader. (Interruption) Not to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अभी उन्होंने कोई और आधार कहा है इस तरह से अगर हर रोज अपनी स्टेटमैंट्स बदलेंगे (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

Mr. Speaker : Hon'ble Leader of Opposition suggested some good things and you must abide by it.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, फिर ये गलत बात क्यों कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, he never said anything against you.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर विपक्ष के साथी चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक तौर पर बनाया जाये । मैंने केवल यह कहा है कि पण्डित ज्वाहरलाल नेहरू, बाबा साहिब अम्बेदकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के पिता जी भी शामिल थे। जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया था तो संविधान की कांस्टीच्यूनल स्कीम में आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं रखा गया । जबकि विपक्ष के साथी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं । (विघ्न) सर, इस पर केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग तथा बच्चे और महिलाओं के लिए, ये चार ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं। चाहे वह नौकरियों में हो, शिक्षा में हो और चाहे वह तरक्की में हो । सर, अगर विपक्ष के साथी कान्स्टीच्यूशनल स्कीम में आरक्षण का आधार आर्थिक तौर पर चाहते हैं तो देश की संसद को दो तिहाई बहुमत से संविधान बदलना पड़ेगा । उसके बाद देश की दो तिहाई विधायिकाएं उसका अनुमोदन करेंगी तब आप आरक्षण का आधार बदल पायेंगे और दूसरी जातियों से ले पायेंगे यानि पिछड़े वर्गों, महिलाओं आदि को डिनाई कर पायेंगे या इसका कोटा बढ़ा पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट की खण्ड पीठ ने . . . (विघ्न) सर, या तो ये सुनने का मादा रखें । अध्यक्ष महोदय, हमने तो इनको इन्ट्रप्ट नहीं किया क्योंकि आपने कहा था। We did not speak a word. We sat silently.

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded which is said without my permission.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इंदिरा साहनी के केस में फैसला आ चुका है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा except in very exceptional circumstances आरक्षण का हिस्सा नहीं जा सकता ।

Mr. Speaker : You mean to say we can't go against the decision of the Court.

Shri Randeep Singh Surjewala : Absolutely, Sir we can't go against the spirit of the Constitution-makers. पण्डित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहिब अम्बेदकर, सरदार बल्लभ भाई पटेल और हमारे मुख्यमंत्री जी के पिता जी भी कांस्टीच्यूंट असैम्बली के मैंबर थे जो हमारे संविधान के निर्माता भी थे। उस कांस्टीच्यूनल स्कीम को यह विधायिका नहीं बदल सकती । अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि ..... (विघ्न)

Mr. Speaker : I will only request Shri Om Prakash Chautala to speak after him.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को मिसलीड कर रहे हैं ।

Mr. Speaker : If he is misleading then Mr. Chautala will answer. You may please keep silent, Mr. Barshammi.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, as far as reservation on economic criteria is concerned, the position is loud. It is clear and it is unequivocal that the Legislature of a particular State has no right under the Indian Constitution to amend the Indian Constitution or to provide economic reservation. Even the Indian Parliament does not have such right. It would have to be amended and ultimately fundamental basic structure of the Constitution even then cannot be violated. After Keshav Nanda Bharti and upto Indira Sahni that is the unstated position that basic structure of the Constitution would not be tempered with.

Mr. Speaker : Shri Venod Kumar Sharma wants to contribute.

Shri Venod Kumar Sharma : Speaker Sir, I entirely agree with Mr. Randeep Singh Surjewala that there is provision in the Constitution of India about reservation. Today what we are discussing the spirit of the minds of the people of Haryana. I think that the Constitution has been amended many a times in the past. It is not that the Constitution had never been amended. Though it is amended with the two/third majority in the Parliament House and this House represents the feelings of the entire Haryana. What Mr. Arora has said? He must have said judging some feelings of the people in Haryana. Why not, we also represent the feelings of people of Haryana in the Assembly. We are not saying that we are passing a resolution that Constitution should be amended but we have the liberty to speak on the issues which have dear to the people of Haryana at large. It is the feeling among the people of Haryana that reservation should be on economic conditions of a person. So, there is no harm in discussing. Whatever the House decided is a different matter. Whatever has to be done and what is decided at the Parliamentary level, is a different matter. But we are at liberty to speak and I also think that these are the feelings of the people

of Haryana that if there is any reservation, this point should be taken into account that those who have already got the reservation other than that, if there is a reservation those who are economically backward should also be considered.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I agree with Pandit Venod Kumar Sharma ji that as far as discussion in the House is concerned, it is a matter of right of the Members of the House whatever they want to. They can convey their feelings. They can express their feelings. The House can take note of their feelings. I have only stated a constitution position as far as reservation on economic ground is concerned. As far as the reservation for Jats is concerned, to put them in OBC category, Hon'ble Chief Minister of Haryana has already referred the matter to Hon'ble Prime Minister of India. Hon'ble Prime Minister of India has already referred the matter to Backward Classes Commission of India. The letter, in the newspaper's clippings that they are referring to, is referring to an earlier rejection. (Interruption) I know the newspaper that you have. (Interruption) Speaker Sir, this is referring to an earlier memoranda submitted by seventeen people (Interruption.)

Mr. Speaker : I will get it clarified. (Interruption) Let Mr. Chautala speak first. (Interruption) Now, what is happening? Mr. Vij please. (Interruption) Mr. Vij, please sit down. (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, the present Congress Government as also the Chief Minister of Haryana, we are conscious of the fact that there is agitation in mind of a particular community that they are demanding OBC status. The Chief Minister of Haryana has already gone on record. In fact he is the only political leader and we are the only political party, who have gone on record to say that we support OBC reservation in Central Government jobs and we have referred the matter and we are going to pursue it actively with Hon'ble Prime Minister of India as also with the Backward Classes Commission of India. Letters which were once written by someone and have been rejected cannot our subject matter of a press clippings which is giving rise to this debate. The matter is under consideration. If Backward Classes Commission has any reservation on reconsideration, Hon'ble

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Chief Minister and this Government will follow up that matter and we will see to it that the spirit of what Dr. Raghuvir Singh Kadian was saying, the spirit of what Shri Ajay Singh Chautala also pointed out, we will to see it. There are people who were in the Chief Minister's Chair for 6-6 years (interruption) सर, श्री चौटाला जी 6 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने इस बारे में क्या किया । गुरनाम सिंह कमीशन के बारे में अभी डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने चर्चा की । श्री चौटाला जी 6 वर्ष तक इधर बैठे तब इन्होंने यह क्यों नहीं किया । क्या इन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी क्योंकि तब केन्द्र में भी इनके समर्थन से चलने वाली भाजपा की गठबंधन सरकार थी तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है and the matter is under consideration, Sir.

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, सम्पत सिंह जी भी इस पर बोलना चाहते हैं। इसके बाद आप बोलेंगे या आप पहले बोलेंगे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप पहले बोल लें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई रेजोल्यूशन नहीं था यह केवल मात्र आपके माध्यम से एक सुझाव था ।

Mr. Speaker : This may be noted down that this was not a resolution, only a suggestion.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जिनको आरक्षण की सुविधा पहले मिली हुई है उनके अलावा दूसरे वर्गों के लोगों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की सुविधा दी जाये।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दो दिन पहले यह बात पब्लिकली क्यों नहीं कही जाती, स्टेजिज पर? हाऊस में ही क्यों कही जाती हैं?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात पब्लिकली भी कही गई है । हमारे समय में एक कमीशन का गठन हुआ था और उसके माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया था जैसे अभी आपको भी गुमराह किया गया है और जो मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में अभी केन्द्र सरकार को चिट्ठी भेजी है वह तो रिजैक्ट भी हो चुकी है । इसलिए इसका समाधान.. (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं उनकी सूचना के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने जो चिट्ठी लिखी है उसके लिए मुझसे जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा और उन्होंने हमें लिख कर दिया कि हमें केन्द्र में रिजर्वेशन मिलना चाहिए । मैं इस बात के लिए सहमत हूँ और मैंने वह पत्र फेवरेबल कंसीड्रेशन के लिए

प्रधानमंत्री के पास भेजा तथा प्रधानमंत्री ने वह पत्र ओ.बी.सी. कमीशन के पास भेजा । ओ.बी.सी. कमीशन ने 1997 में जाट आरक्षण पर अपना फैसला दिया था उसके बाद और रिप्रैजैन्टेशन भी कमिशन में गई हैं । कमिशन ने रिजैक्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास रिव्यू करने की पॉवर नहीं है । That will be legally examined. How that can be reviewed when they have no power to review it. It was not rejected. (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब कमिशन ने यह कह दिया कि मेरे पास इसको रिव्यू करने की पॉवर नहीं है तो that is being legally examined और उसमें कोई रैक्टिफिकेशन होगी, हम इसके लिए प्रयास करेंगे ताकि वह कंसीड्रेशन में आये और कमिशन इन सब बातों पर गौर करके फैसला ले।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मुद्दे आ गये हैं एक तो यह है कि सुझाव दिया गया है कि सदन की तरफ से एक रैजोल्यूशन आये और उसमें जहाँ जाटों को आरक्षण दिया जाये उसके साथ-साथ उन लोगों को भी आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाये जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं । हम केवल रैजाल्यूशन पास करके भेज सकते हैं और यह रैजोल्यूशन भी ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से आये हम उसका समर्थन करेंगे । दूसरा मुद्दा एक और उठाया गया कि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है । ये संविधान भी दो प्रकार के हो गये हैं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिया गया है और उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है क्या उनके लिए कोई दूसरा संविधान लागू है और क्या इनके लिए कोई दूसरा संविधान बनेगा । यह बात मेरी समझ से बाहर है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा एक बात कहना चाहता हूँ कि इन दोनों बातों को स्पष्ट करके लीडर ऑफ हाउस रैजोल्यूशन लेकर आयें हम यूनानिमसली उसका समर्थन करेंगे । जब एस.वाई.एल. नहर पर या बी.एम.एल.हांसी बुटाना नहर पर सर्वसम्मति हो सकती है तो यह तो प्रदेश के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है । आपको इसमें आपत्ति क्या है? आपको इसमें कोई 'इफ' और 'बट' लगानी है तो उसको दूर करके आप रैजोल्यूशन ले आयें ।

Mr. Speaker : I will give my ruling on this.

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जहाँ तक जाट आरक्षण का सवाल है, आज से पहले कांग्रेस पार्टी और विशेषकर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं जहाँ तक उनके लैटर की बात है तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ ओ.बी.सी. कमिशन ने लिखा है कि मेरी पॉवर नहीं है, now, this matter is seized with the Administration of Justice and Empowerment Ministry. उनके पास यह मामला है । इसीलिए तो मुख्य मंत्री जी ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों को कहा कि वहाँ के उच्च अधिकारियों से आपकी वार्तालाप करवा देते हैं और करवाने के बाद जो आपकी इंट्रैक्शन होगी उसके बाद when they will be satisfied हम भी रिकमैंडेशन करेंगे कि जाटों की सैन्ट्रल गवर्नमैंट सर्विसिज में रिजर्वेशन होनी चाहिए। वहाँ पर इसलिए जरूरत है कि वहाँ कॉस्मोपोलिटन सीटीज हैं । हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है तथा बैंगलोर है । वहाँ के बच्चों के साथ हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं । स्टेट में तो हम फिर भी मुकाबला कर सकते हैं लेकिन उन लोगों का ऐजूकेशन

[प्रो. सम्पत सिंह]

स्टैंण्डर्ड बहुत हाई है । केरल जहाँ पर 100 परसैंट ऐजूकेशन है । इसी प्रकार से दूसरे स्टेट भी हैं, हाई ऑफिसिज हैं, हाई बिजनेसमैंन हैं और बड़े-बड़े सीटीज हैं जिनकी वजह से हमें केन्द्र में रिजर्वेशन की आवश्यकता है । यह बात पहले ही मुख्यमंत्री जी मान चुके हैं और हम भी कह चुके हैं । दिल्ली एक कॉस्मोपोलिटन सीटी है, यूनियन टैरीटरी है, देश की राजधानी भी है, वहाँ से भी माँग आ रही है । इसी प्रकार से मिलिट्री में भर्ती के लिए पहली बार हमारे सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आवाज उठाई है । पहले मिलिट्री में भर्ती का तरीका दूसरा था लेकिन आजकल हर राज्य की पापूलेशन के हिसाब से उसका कोटा निर्धारित कर दिया गया है । हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2 परसैंट है तथा उस हिसाब से हरियाणा से कम लोग भर्ती हो पाते हैं । चूंकि हरियाणा में मार्शल कॉम जाट मिलिट्री में भर्ती होते थे । पापूलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन के कारण ही मिलिट्री में ऑफिसर्स के पद आज रिक्त पड़े हुए हैं जिस कारण आज हजारों पोस्ट्स खाली पड़ी हैं । अगर यह रैजोल्यूशन होता है तो यह नेशनल इंट्रस्ट में है और देश के इंट्रस्ट में भी है । इसी तरह से रेलवे की सर्विसेज में है और इसी तरह से दिल्ली के अंदर गवर्नमैंट सर्विसेज में भी पोस्ट्स खाली पड़ी हैं । दिल्ली में पहले सिपाहियों और कंडक्टर की पोस्ट्स पर हरियाणा प्रदेश के नौजवान सर्विस किया करते थे । लेकिन आज वहां पर भी दूसरी स्टेट्स के लिए पोपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन कर दी गयी है इसलिए आज हमें दिक्कत आ रही है । यूनियन टैरीटरी में सैंट्रल गवर्नमैंट की सर्विसेज में बाकायदा रिजर्वेशन होनी चाहिए। सर, इसीलिए सैंट्रल सर्विसेज में रिजर्वेशन देने के लिए मुख्यमंत्री जी उनके हक में चिट्ठी लिख चुके हैं । स्पीकर सर, लेकिन आज से पहले आपने भी अखबारों की कटिंग पढ़ी होंगी, क्लीपिंग पढ़ी होंगी । जब मैंने कल हाउस में बात छेड़ी थी उसके बाद आज इनकी यह बात आयी है अदरवाइज तो आई.एन.एल.डी. ने कभी भी किसी भी तरह अखबारों में इससे पहले बयान तक नहीं दिया । अगर कोई बयान दिया हो कि हम सैंट्रल गवर्नमैंट सर्विसेज में आरक्षण के हक में हैं, तो हमें बता दें । आज चौटाला जी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जिक्र किया है लेकिन आज भी सैल्फ कंट्राडिक्टरी रिजर्वेशन का जिक्र किया है । चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने इससे पहले इस बारे में रैजोल्यूशन लाने का जिक्र किया था । (विघ्न) मैं स्पीकर साहब की परमिशन से बोल रहा हूं । स्पीकर साहब, माननीय चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने इससे पहले जब इस बारे में जिक्र किया तो यह ठीक है कि आपने उस बारे में रूलिंग दे दी that 'without any notice I cannot pass a resolution.' इनकी तरफ से नोटिस कोई भी नहीं दिया गया है । एक सस्ती लोकप्रियता के लिए ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैंने कल इस बारे में अपना स्टैंड जाहिर कर दिया था । लोक दल ने तो अपना स्टैंड अभी तक क्लीयर ही नही बताया है । इनकी आज असैम्बली में भी और असैम्बली के बाहर भी सैल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंट आ रही हैं । यह स्टेटमैंट विद इन पार्टी ही नहीं आ रही हैं बल्कि between son and father भी आ रही हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आर्थिक आधार पर आरक्षण का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जाटों को सैंट्रल गवर्नमैंट सर्विसेज में आरक्षण देने का प्रस्ताव करें। (विघ्न) चौटाला साहब का जब भी हम बयान पढ़ते हैं तो इस तरह का बयान आज से नहीं बल्कि जब मैं इनके साथ था तब भी अखबारों में बयान होता था । (विघ्न)

डॉ0 अजय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, हमने तो अपना स्टैंड आपके सामने अभी-अभी स्पष्ट किया है फिर ये क्यों आपके सामने गुमराह कर रहे हैं ? ये इससे बड़ा झूठ और क्या बोलेंगे ? (विघ्न)

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि यहां पर सभी भाईयों ने आरक्षण की बात की है मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप इस बारे में कोई युनानीमस रैजोल्यूशन लाना चाहते हैं तो उसमें महिलाओं को भी जोड़े और महिलाओं को भी आरक्षण दें ।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी स्टेटमैंट सैल्फ कंट्राडिक्टरी है। बार-बार ये आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं । सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये इस तरह के आरक्षण की बात करते हैं । क्या ये यह कहना चाहते हैं कि जाटों में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, क्या बी.सीज. एवं एस.सीज. में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए ? ये हमें इस बारे में क्लीयर बता दें ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर ये दोबारा सुनना चाहते हैं तो हम दोबारा से अपना स्टैंड स्पष्ट कर देंगे । सस्ती लोकप्रियता तो ये लेना चाहते हैं । (विघ्न)

Mr. Speaker : Prof. Sampat Singh, your suggestion, if I can understand, is that even among Jats, who are economically backward they should also be given the benefit of reservation.

प्रो0 सम्पत सिंह : मैं आपकी मार्फत इनसे सवाल पूछ रहा हूं । मैं इनसे एक सवाल क्लीयर पूछना चाहता हूं । ये बाद में अपना स्पष्टीकरण करें कि जाटों के आरक्षण के लिए आरक्षण समिति ने जो मांग कर रखी है जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है क्या उनकी डिमांड के अनुसार ही ये उनके आरक्षण के हक में हैं या आर्थिक आधार पर ये आरक्षण को कन्वर्ट करना चाहते हैं ? ये इस बारे में अपना स्टैंड स्पष्ट करें । स्पीकर सर, जहां तक रैजोल्यूशन की बात है, I have written a request to you. मैंने आपको लिखित में इस रैजोल्यूशन के लिए रिक्वैस्ट भेजी है । इसके अलावा भी यदि इस रैजोल्यूशन को लाने के लिए किसी मैम्बर की तरफ से कोई रिक्वैस्ट आयी है तो उसको भी आप चाहें तो बुलवा लें और मुझे भी चाहें तो बुलवा लें । अगर आपकी परमिशन होगी तो मैं बोलूंगा अदरवाइज नहीं बोलूंगा ।

Mr. Speaker : I have only a written request received from you.

Prof. Sampat Singh : Only from me that's why I am saying that अगर कोई हाउस की सैंस बनती है और यदि कोई रैजोल्यूशन मूव करना है तो I should be allowed to speak.

Mr. Speaker : Then what should I do when she is also asking to speak on this, Shri Sultan Singh and Shri Ram Kishan Fauji are also asking to speak on this issue. I have not still got you Prof. Sampat Singh. Do you want reservation for Jats on economic backward basis or not?

Prof. Sampat Singh : Not at all. मैं यह चाह रहा था कि जाट आरक्षण समिति की यह मांग है कि सैंट्रल गवर्नमैंट सर्विसेज के अंदर बिना किसी कंडीशन के जाटों को आरक्षण मिले । मैं यह कहना चाहता हूं । लेकिन मेरे साथी उस आरक्षण को आर्थिक आधार पर जोड़ना चाहते हैं ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये गुमराह कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Arora, just listen to me. (Interruption) Let us be very fair. (Interruption) Please sit down. I will invite you to speak. Please sit down. It is very strange. (Interruption) Please listen to me. I have got everybody on wrong foot. Mr. Ashok Arora on the other day said that the economic reservation for other castes other than Jats should be made on economic basis.

Shri Ashok Kumar Arora : Speaker Sir, not other than Jat आप रिकार्ड निकलवा लें, जाट भी उसमें शामिल किया है।

Mr. Speaker : Arora Ji, listen to me. You are not listening. Your problem is that you do not listen. I will tell you. You do not understood. मैं हिन्दी में बोलता हूं । अभी अशोक अरोड़ा ने यह कहा कि जहां जाटों के आरक्षण की बात कही जा रही है वहां और कौमों को भी जिनमें इकोनोमिक बैकवर्डनैस है, उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आप क्या चाह रहे हैं कि जाटों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए । अरोड़ा जी, आप इस बात को क्लीयर करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी यह कहा था । जैसा संपत सिंह जी ने पार्टी के स्टैंड के बारे में कहा । जाट आरक्षण समिति की जो मांग आज उठ रही है उन्हें केन्द्र की नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए । हमारी पार्टी उस पर पूरी तरह से सहमत है। दूसरा जो मैंने कहा था कि केन्द्र के अलावा हरियाणा प्रदेश में जाट को, रोड़ को, ब्राह्मण को, पंजाबी को, अग्रवाल को, राजपूत को, बनिया को, और जो जातियां गरीब हैं उन्हें भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए । यह हमारा स्टैंड है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, अनीता यादव आरक्षण मांग रही हैं, जड़ौला जी, मांग रहे हैं, फौजी साहब मांग रहे हैं उधर सब रिजर्वेशन मांग रहे हैं। इस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है । यह बड़ा सुंदर शेर है। ये था कि जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा। सब सोचें कि गुनाहगारों को सब कुछ मिल रहा है और अच्छे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा । उस पर शायर ने कहा--

रोजे हश्र, शाने कुदरत, ये तमाशा भी हुआ
चीख उठा हर बेगुनाह, मैं भी गुनाहगारों में हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी की पार्टी का जो स्टैंड आया है वह कम से कम आप इस बात की क्लेरिफिकेशन तो ले लें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चेयर के बारे में शब्द कहें हैं। उसे रिकॉर्ड से निकाला जाए । ये शब्द इनको वापस लेने चाहिएं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded because you dont have taken the permission of the Chair. (interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इससे पहले कि आप मुझे बोलने की इजाजत दें श्री रामकिशन फौजी जी अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के अन्दर एक अहम मुद्दा है और यह कानून व्यवस्था की बहुत सारी बातें हैं । कई दिनों से हमारी बहन-बेटियां, 80-80 साल की बुजुर्ग रेलवे लाईनों पर बैठी हैं । मेरा सदन से यह निवेदन है कि हम सारे एक रेजोलूशन सदन में लायें और इस मामले में राजनीति न करें । उन लोगों से यह निवेदन करें कि हम हरियाणा के लोग और जो आपकी मांग है हम उसमें सहमत हैं । हम इस बारे में राजनीति नहीं करेंगे। दूसरा मेरा यह कहना है कि जैसे चौधरी सम्पत सिंह जी ने बताया कि इसमें अगर राजनीति करेंगे क्योंकि वे हमारे परिवार की हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है और हम बात कर रहे हैं । सर, मेरा निवेदन है आप मानें या न मानें क्योंकि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में कोई राजनीति न करें । चौटाला जी के लड़के यह कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जाटों को आरक्षण मिले । मैं यह कहना चाहता हूं कि (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : माननीय सदस्य बार बार गुमराह करने की बात करते हैं ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : फौजी साहब, इस बात का तमाशा मत बनाओ । आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने जो रैजोल्यूशन दे रखा है उस रैजोल्यूशन को पास किया जाए।

Mr. Speaker : No further discussion. (Interruption)

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I did not allow discussion on this point.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात हम नहीं सुनेंगे । हम राजनीति करने आते हैं क्या । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ये बात इनसे क्लीयर करायें। जाति से कोई अमीर नहीं होता, किसी जाति में भी गरीब आदमी हो सकता है । ब्राहम्ण के भी हो सकता है , दूसरी जाति में भी हो सकता है । लेकिन मैं मेरी बात कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

[श्री राम किशन फौजी]

किसी पार्टी का कार्यकर्त्ता या पदाधिकारी रेल की लाईन पर बैठता है तो उस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को उसे समझाना चाहिए, उस आन्दोलन में आग नहीं डालनी चाहिए । जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा स्टैण्ड क्लीयर कर दिया और फिर भी पार्टी का पदाधिकारी हो और वह कानून व्यवस्था खराब करना चाहता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो किसी का भी हो, किसी जाति का हो उसको भी हमने समझाना चाहिए । हम इसके पक्ष में हैं, जो भी हाउस की सहमति है । मैं भी इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि ये भी यह इन्श्योर करें कि हमारा पार्टी का पदाधिकारी ऐसी कानून व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालेगा । ********* (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruption)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो रामकिशन फौजी ने ऐसे अपशब्द कहें हैं उनको विदड्रा किया जाये ।

Mr. Speaker : Withdraw these words from the proceedings of the House. हाउस की प्रोसीडिंग्ज से ये शब्द निकाल दिये जायें ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि ये लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनुमोदन किया है उसको कमजोर करना चाहते हैं । जो साथी सामने बैठे हैं इनका कोई स्टैण्ड नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, रामकिशन फौजी ने जो एस्पर्शन किए हैं वे विदड्रा किए जाएं और हाउस की प्रोसीडिंग से डिलीट किए जाएं।

Mr. Speaker : Withdraw these words. हाउस की प्रोसीडिंग से ये शब्द निकाल दिए जाएं । (शोर एवं व्यवधान) He has withdrawn his words. (शोर एवं व्यवधान) They have been excluded. He has withdrawn his words. (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने अपने शब्द वापिस ले लिए हैं । (शोर एवं व्यवधान) फौजी साहब, आप कहिए कि आपने अपने शब्द वापिस ले लिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द वापिस न लेते हुए इतना कहना चाहूंगा कि मैंने पगड़ी पर कोई अंगुली नहीं उठाई । मैंने यह कहा है कि हरे रंग का झंडा इनकी पार्टी का सिम्बल है और ये इसी रंग की पगड़ी भी बांधे बैठे हैं । मेरे कहने का यही मतलब था । मेरा मतलब पगड़ी की बेइज्जती से नहीं था । (शोर एवं व्यवधान) पगड़ी तो हमारा सम्मान है । (शोर एवं व्यवधान) मैंने इनकी पार्टी का जो सिम्बल है उसकी बात की है । मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। (शोर एवं व्यवधान) मैंने तो सिम्बल की बात की है । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य और शिरोमणि अकाली दल का एकमात्र सदस्य सदन की वैल में आकर धरने पर बैठ गए और जोर-जोर से बोलने लगे कि जब तक श्री राम किशन फौजी अपने शब्द वापिस नहीं लेंगे तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे।)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

Mr. Speaker : Go back to your seats. He has withdrawn his words. (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने अपने शब्द वापिस ले लिए । (शोर एवं व्यवधान) उन्होंने अपने शब्द वापिस ले लिए हैं । मैं यह समझता हूं कि किसी एक व्यक्ति को अपने कहे हुए शब्दों को वापिस लेना पड़ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, शब्द वापिस लेना तो वही बात है जैसे किसी एक ने दूसरे को गाली दे दी और दूसरे ने वह गाली नहीं ली तो वह गाली पहले के पास वापिस आ गई । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Go to your seats, please. (Interruption)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, क्या पगड़ी बांधना गलत काम है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने गलत सोचा कि कोई ऐसी बात फौजी साहब ने विपक्ष के नेता के बारे में कही है जो ठीक नहीं है इसलिए मैंने उनको कहा कि आप अपने लफ्ज़ वापिस लें और माफी मांगे । (शोर एवं व्यवधान) लेकिन उन्होंने अगर यह कहा है कि वहां पर हरी पगड़ी बांधकर लोग प्रदर्शन पर बैठें हैं तो इसमें कोई अनपार्लियामैंटरी बात नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यदि यही कहा है तो it is not removed from the record. What is bad in it? Speaker Sir, I want your ruling. इसमें माननीय सदस्य ने क्या अनपार्लियामैंटरी बात कह दी कि वहां पर हरी पगड़ी बांधकर लोग प्रदर्शन पर बैठें हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यही कहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अगर इन्होंने अनपार्लिमैंटरी बात नहीं कही है तो why they are sitting in the well. यदि इन्होंने विपक्ष के नेता के बारे में कहा है तो ये माफी मांगेगे और वहां के बारे में कही है तो बिलकुल ठीक कहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लीयर करना चाहता हूं कि मैं पगड़ी के पक्ष में हूं। पगड़ी हरियाणा के लोगों की शान है । हमारे बाप-दादा सभी पगड़ी बांधते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने चौटाला जी के बारे में हाउस के बारे में कुछ नहीं कहा है । मैंने तो रेल की पटरियों पर जो लोग बैठें हैं उनके बारे में बात कही थी । (शोर एवं व्यवधान) मैंने चौटाला जी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही। अगर आपको कोई गलतफहमी हो गई है तो मैं अपनी बात वापिस लेता हूं । (शोर एवं व्यवधान) मेरी मंशा इनको आहत करने की नहीं थी । चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं, सीनियर हैं और कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं हम इनका आदर करते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी है इसलिए अब आप लोग भी सदन की वैल से उठ जायें । (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Members, as the matter ends,

[Mr. Speaker]

now we have to transact the legislative business. Only Parliamentary Affairs Minister is allowed to speak. (Interruption) Please sit down. (Interruption)

(इस समय सदन की वैल में बैठे इण्डियन नैशनल लोक दल के सभी सदस्य और शिरोमणी अकाली दल के एक मात्र सदस्य अपनी-अपनी सीट पर चले गये ।)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाऊ किया है । (Interruption) Arora Sahib, I am speaking with the permission of the Hon'ble Speaker. अध्यक्ष महोदय, फौजी साहब ने अपनी बात क्लैरीफाई कर दी है फिर भी मैं यह कहूंगा और मैंने पहले भी यह कहा था कि कांग्रेस के साथियों की ट्रेनिंग यह है कि हम अपने से बड़ी के लिए कभी अपशब्द इस्तेमाल नहीं करते । कर ही नहीं सकते क्योंकि यह हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, शायद इसमें भी चौधरी साहब को एतराज है । आप चाहते हो कि हम अपशब्द इस्तेमाल करें । अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले के अंदर जो स्पष्ट बात ऊभर कर आई है वह यह है कि आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आदरणीय सम्पत सिंह जी ने भी एक स्पेसीफिक ईशू उठाया था । यहां पर पार्टियों के अंदर भी अलग-अलग सदस्यों के अलग-अलग स्टैंड हैं। मैंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, अब जिसको पीड़ा होगी वह खड़ा होने वाला है । अलग-अलग सदस्यों का अलग-अलग स्टैंड है। परिवारों के अंदर भी अलग-अलग स्टैंड है । हमारे मुख्यमंत्री जी का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की सरकार का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है जिसको मैं सदन की जानकारी के लिए रि-इट्रेट करना चाहता हूं कि जाट कम्यूनिटी को अदर बैकवर्ड क्लास में सैंट्रल सर्विसिज में आरक्षण मिले । इस बात की मांग जाट आरक्षण समिति, जो इस एजीटेशन के अग्रणी हैं, वे मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को वह मांग हरियाणा सरकार की तरफ से ड्यू रिकमंडेशन के साथ भेज दी है और अब यह मामला बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन और सोशल जस्टिस एम्पॉवरमैंट कमीशन के पास विचाराधीन है। स्पीकर सर, हमारी पार्टी का स्टैंड यह नहीं है जैसे परिवार का एक सदस्य कहेगा कि जाट्स को आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाये, परिवार का दूसरा सदस्य कहेगा कि जाट्स को ओ.बी.सी. को सैन्ट्रल सर्विसिज़ में आरक्षण दिया जाये, तीसरा सदस्य कहेगा कि जाट्स को आरक्षण स्टेट सर्विसिज़ के अन्दर दिया जाये । स्पीकर सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि 'मुंह जो बात कहे वह है पत्थर की लकीर और शाम-ओ-शहर के साथ नहीं बदलते हैं हम।' मैं इसको रि-इट्रेट करना चाहता हूं कि इस बारे में हमारा स्टैंड कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी यही रहेगा। हमने यह कहा है कि केन्द्रीय सर्विसिज़ में जाट्स को आरक्षण मिलना चाहिए । मुझे लगता है कि इसके बाद विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। फिर भी अगर किसी पार्टी का स्टैंड परिवार में और पार्टी के सदस्यों में भिन्न-भिन्न है तो उसके लिए वे अलग से पार्टी की बैठक बुलाकर विचार-विमर्श करें इस प्रकार के मामले के बारे में डिस्कशन करने के लिए यह सदन उपयुक्त जगह नहीं है ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, since the Government of Haryana through its Chief Minister has already sent a recommendation to the Government of India, which has been forwarded to the Backward Classes Commission, no further discussion is required on this subject. The stand of the Government is clear. (Interruption) My ruling has come. Please sit down. The stand of the Government is clear. Please sit down. (Interruption) Not to be recorded.

समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की 65वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Prof. Sampat Singh, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Sixty Fifth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2010-11 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended 31st March, 2005 (Civil & Revenue Receipts).

Chairperson, Committee on Public Accounts (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Sixty Fifth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2010-11 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years ended 31st March, 2005 (Civil & Revenue Receipts). (Interruption)

(ii) पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की एप्रोप्रिएशन अकांऊट्स/फाईनैंस अकाऊंट्स पर वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 की 66वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Prof. Sampat Singh, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Sixty Sixth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2010-11 on the Appropriation Accounts/ Finance Accounts of the Haryana Government for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008.

Chairperson, Committee on Public Accounts (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Sixty Sixth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2010-11 on the Appropriation Accounts/ Finance Accounts of the Haryana Government for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008.

(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की 57वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Anand Singh Dangi, Chairperson of the Committee on Public Undertakings will present the

[Mr. Speaker]

Fifty Seventh Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2010-2011 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 2006-2007 (Commercial).

चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधी समिति (श्री आनन्द सिंह दांगी) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2006-2007 (वाणिज्यिक) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2010-2011 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 57वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(iv) वैलफेयर ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राईब्स एण्ड बैकवर्ड क्लासिज़ कमेटी की 34वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Naresh Selwal, MLA and a Member of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Thirty Fourth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2010-2011.

Member, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes (Shri Naresh Selwal) : Sir, I beg to present the Thirty Fourth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2010-2011.

(v) गवर्नमैंट अश्योरैंसिज़ कमेटी की 40वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Ram Pal Majra Ji, Chairperson of the Committee on Government Assurances will present the Fortieth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2010-2011.

Chairperson, Committee on Government Assurances (Shri Ram Pal Majra) : Sir, I beg to present the Fortieth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2010-2011.

(vi) एस्टीमेट्स कमेटी की 39वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Rao Dharam Pal, Chairperson of the Committee on Estimates will present the Thirty Nineth Report of the Committee on Estimates for the year 2010-2011 on the Budget Estimates for 2009-2010 Excise and Taxation Department.

Rao Dharam Pal (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Thirty Nineth Report of the Committee on Estimates for the year 2010-2011 on the Budget Estimates for 2009-2010 Excise and Taxation Department.

विधान कार्य-

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 2011

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

> That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

> That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is-

> That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

श्री शेर सिंह बड़शामी : (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जिस दिन अध्यक्ष महोदय का चुनाव हुआ था इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने बहुत बड़े-बड़े सुझाव दिये थे । चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा था कि जो भी यहाँ पर विधायक चुनकर आते हैं उनका मुख्य कर्तव्य है लैजिशलेशन पर और बिलों पर बोलना, अच्छी परम्पराओं को कायम करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, बिलों के लिए अलग से समय रखना चाहिए जिस तरह से प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है ताकि सदस्यों को यह पता चल सके कि हमारा काम क्या है । जनता ने हमें किसलिए यहाँ पर चुनकर भेजा है । मैं इस सदन से और सभी सदस्यों से माफी माँग कर यह बात कहना चाहता हूँ कि इस अधिवेशन के खत्म होने के बाद किसी भी सदस्य से यह पूछ लिया जाये कि इस अधिवेशन में कौन-कौन से बिल आये और कौन-कौन से कानून बने तो शायद कुछेक सदस्य ही इस बारे में बता पायें अन्यथा कोई भी इस बारे में नहीं बता पायेगा । यह अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से प्रश्नकाल के लिए समय दिया जाता है और उसी तरह से बिल के लिए भी अलग से समय दिया जाना चाहिए । बिल सभी विधायकों के पास एक हफ्ता पहले आने चाहिएं और उसके साथ प्रिंसिपल एक्ट भी होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैंने यह चिट्ठी मुख्य सचिव को भी लिखी थी और आपको भी लिखी थी लेकिन उसके बावजूद भी जो बिल आज सदन में लाये जाने हैं उनकी कॉपी हमें रात को दी गई है और वह भी सिर्फ एक लाईन का बिल दिया गया है । उसकी किसी भूमिका के बारे में जब तक किसी सदस्य को पता नहीं होगा तो उसको उसकी कैसे जानकारी होगी और वह उसके बारे में कैसे बोल पायेगा ? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सभी सदस्यों को एक हफ्ता पहले बिल दिये जाने चाहिएं साथ में प्रिंसिपल एक्ट की कॉपी दी जानी चाहिए और इसके लिए प्रश्नकाल की तरह अलग से बिलों के लिए समय निश्चित होना चाहिए । आप जो प्रशिक्षण शिविर की बात कर रहे हैं उसमें भी बिलों के बारे में सभी सदस्यों को बताया जाना चाहिए । जब सरकार कोई बिल पेश करती है तो उस बिल की अच्छाईयों और बुराईयों के बारे में भी सारे सदन को विस्तार से बताना चाहिए ताकि सारे सदन के सदस्य उस पर अपने विचार रख सकें । उससे सभी सदस्यों को सदन की उस दिन की कार्यवाही का पता चलेगा कि हमने क्या कानून बनाया है, किस कानून में हमने तरमीम की है? किसी सदस्य को इस बारे में मालूम नहीं होता । सरकारी अधिकारी केवल एक लाईन का बिल लिख कर भेज देते हैं ताकि सदस्यों को किसी बात का ज्ञान न हो । अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों की तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरी जानकारी के लिए सदस्यों को पूरा समय दिया जाना चाहिए । इस बारे में कैप्टन अजय सिंह यादव जो इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनकी भी टिप्पणी चाहूँगा कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? इसी प्रकार से प्रो. सम्पत सिंह भी वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनकी भी टिप्पणी चाहूँगा कि बिलों के बारे में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं इस बिल पर बोलने से पहले यह बात कहना चाहता था । जब बिल नम्बरवाईज आयेंगे तो मैं उन पर भी बोलना चाहूंगा क्योंकि हर सदस्य का इन पर बोलने का अधिकार बनता है, कोई भी सदस्य किसी भी बिल पर बोल सकता है लेकिन यहां बिलों के ऊपर भी बोलने नहीं दिया जाता जबकि यह हमारे सदन का मुख्य कार्य है। स्पीकर सर, हम एक-एक हफ्ते तक एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह

[श्री शेर सिंह बड़शामी]

जरूरी नहीं है । जरूरी काम के लिए तो सिर्फ दस मिनटस रखे जाते हैं और वह भी उस दिन जिस दिन सदन का आखिरी दिन होता है । दस मिनट्स में ही 'यस' और 'नो' करके सारे सदन की कार्यवाही पास कर दी जाती है जबकि हर रोज एक या दो बिल आने चाहिएं और उन बिलों पर बोलने के लिए सदन का समय निश्चित होना चाहिए । अगर ऐसा होगा तभी सदस्यों को अपनी कार्यवाही के बारे में जानकारी मिल सकती है अन्यथा नहीं मिल सकती है । सर, आज के दिन प्रजातंत्र के अंदर यह बहुत जरूरी है ।

प्रो0 सम्पत सिंह (नलवा) : स्पीकर सर, मैंने पहले दिन भी ठीक कहा था और मैं आज भी उसी बात पर स्टैंड करता हूं लेकिन इनकी स्टेटमैंट मिसलीडिंग है कि बिल 24 घंटे पहले ही पहुंचाए गए हैं । हम लोग जब असैम्बली के अंदर आये थे तो हमें सारे बिल हिन्दी में भी और अंग्रेजी में भी सरकुलेट कर दिए गए थे । कल तो दोबारा से ये बिल्ज सरकुलेट किए गए हैं । सर, कल जो एजेंडा दिया गया था तो उसके साथ ही इनको भी अटैच किया गया था । सर, जिस दिन सैशन शुरू हुआ था तो उसी दिन बाकायदा सारे बिल्ज सरकुलेट किए गए हैं । आपकी असैम्बली का रिकार्ड भी यह बता सकता है कि सब मैम्बर्ज को ये बिल्ज उनके रैजीडैन्स पर पहुंचाए गए हैं।

Mr. Speaker : All the Bills are always circulated to the Members.

प्रो0 सम्पत सिंह : जी हां । सर, जहां तक बिल्ज पर बोलने की बात है ये बिल पर बोल लें । यह अलग बात है कि इनकी बिल्ज पर बोलने की तैयारी ही नहीं है।

Mr. Speaker : All the Bills are sent to the Hon'ble Members before the start of the Session.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, जो बड़शामी जी कह रहे हैं उसके बारे में मैंने रि-वैरीफाई करवा लिया है । ऐसा लगता है कि बड़शामी जी ने ये देखे नहीं होंगे । आपके सैक्रेटेरिएट के द्वारा सारे बिल्ज सरकुलेट कर दिए गए हैं ।

श्री शेर सिंह बड़शामी : माननीय मंत्री जी, मैं रोजाना हर चीज को बाकायदा देखता हूं । अध्यक्ष महोदय, ये किसी सदस्य से पूछ लें। ये इस इशु को डायवर्ट करने की कोशिश न करें। इनको तो यह कहना चाहिए और यह आश्वासन दिलाना चाहिए कि यदि किसी मैम्बर के पास बिल्ज नहीं पहुंचे हैं तो हम एक हफ्ते पहले इनको पहुंचाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, जो प्रिंसीपल एक्ट है उसकी कॉपी भी बिल्ज के साथ साथ होनी चाहिए ताकि पूरा एक्ट पढ़कर हम जान सकें कि मौजूदा क्या कानून बनाया जा रहा है, क्या उसमें तरमीम की जा रही है अन्यथा हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे । **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य प्रो0 सम्पत सिंह पदासीन हुए।)**

श्री भारत भूषण बत्तरा (रोहतक) : चेयरमैन सर, लगता है कि इस तरह से बिल्ज पास करने की प्रथा विधान सभा के अंदर बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। (विघ्न) चेयरमैन सर, हर

एक अधिनियम के ऊपर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए । सिर्फ इस प्वायंट पर ही नहीं चर्चा होनी चाहिए कि चार दिन पहले बिल्ज मिलें, दो दिन पहले बिल्ज मिलें । मैं पालियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि जब बिजनैस एडवाइजरी की मीटिंग होती है तो उसके एजेंडे में ही इसकी प्रोपर रिप्रैजेंटेशन होनी चाहिए । अगर एक दिन के अंदर आप आठ-आठ बिल्ज रख देंगे तो फिर हाउस इसी तरह से उनको पास करेगा जैसे पहले पास करता रहा है इसलिए जो बात बड़शामी जी ने कही है उससे मैं सहमत हूं । सदन के सदस्यों को यह पता ही नहीं होता कि कौन सा कानून हम पास करके आये हैं, कौन सी अमैंडमैंट हम करके आए हैं । उन्हें कुछ समय पहले पता लगता है कि कानून में अमैंडमैंट हुई है । विधायिका का जो काम है वह कानून बनाना है इसलिए हर बिल पर प्रोपर डिसकशन के लिए चाहे आप दस मिनट का समय रखें, चाहे 15 या 20 मिनट का समय रखें लेकिन समय जरूर रखा जाना चाहिए ताकि अगर किसी मैम्बर के बिल पर कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं तो वह दे सकें ।

Mr. Chairperson : Thank you for your suggestion.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, आप इनसे कोई आश्वासन तो दिलवा दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, सजैशन नोट कर लिया गया है ।

Mr. Chairperson : I have accepted your suggestion. It is a very good suggestion and will make arrangement to educate all the Members of the Assembly regarding Bills and regarding other Acts etc. before the Assembly Session.

Mr. Chairperson : Question is-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

13.00 बजे

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Chairperson : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Chairperson: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Chairperson : Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Chairperson : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairperson : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairperson: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Chairperson : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Chairperson : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Chairperson : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैंबली (अलाउंसिज एंड पैंशन ऑफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2011

Mr. Chairperson : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairperson : Motion moved-

> That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : सभापति महोदय, दिक्कत की बात ये है कि उधर बैठे एम.एल.एज.में से कोई पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर बन गए, कोई ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए लेकिन हम विपक्ष के एम.एल.ए.जब अपने हल्कों में जाते हैं तो लोग हमें अपनी-अपनी समस्याएं बताते हैं परन्तु कोई फण्ड न मिलने के कारण हम उनको हैण्ड पम्प तक लगवा कर नहीं दे सकते। हम गांव-गांव में जाते हैं और लोग हमारे समक्ष अपनी समस्याएं लेकर आते हैं ।

श्री सभापति : आप बिल पर बोलिए । This is regarding Allowances and Pension of Members and not regarding any other grant.

श्री राम पाल माजरा : सर, मैं मैम्बर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बारे में ही बोल रहा हूं और इसके लिए मांग करता हूं कि लोकल एरिया डिवैलपमैंट फंड जैसी कोई स्कीम होनी चाहिए और उसके मार्फत विपक्ष के एम.एल.एज. को भी बराबर की सुविधायें दी जानी चाहिएं। (विघ्न)

श्री सभापति : जहां तक आपने जिक्र किया कि एम.एल.ए. हैण्ड पम्प भी नहीं लगवा सकते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप डी-प्लान कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते हैं । Have you ever given any plan to the D-Plan Committee?

Shri Ram Pal Majra : Sir, I have attended the meetings. सर, मैं इस तरह की मीटिंग में जरूर जाता हूं और मैं गया था लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई । पहले से लिस्ट तैयार होकर आती है और उसके हिसाब से सब कुछ हो जाता है। मैंने मेरे ख्याल में इस बारे में सैकड़ों बार डिमांड रखी है लेकिन कुछ नहीं होता । सर, मेरे क्षेत्र में ओम प्रकाश जैन साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं और मैंने वहां जाकर हर मीटिंग अटैंड की है। मैंने सैंकड़ों प्रोजैक्ट लिखकर दिए हैं . . .

Mr. Chairperson : There are certain rules and regulations regarding the distribution of D-Plan. उसके रूल्ज रेगूलेशंज होते हैं कि किस हैड पर कितना पैसा दिया जाता है ।

श्री रामपाल माजरा : चेयरपर्सन सर, पहले तो यह बात बतानी चाहिए कि पढ़ा लिखा आदमी लाईन से क्यों उतरा हुआ है ।

Mr. Chairperson : What do you want to say about the allowances and pension of Members? I want to know what is your attitude, what is your behaviour, what is your view regarding the Pension and Allowances of Members regarding this Bill.

श्री रामपाल माजरा : *****

Mr. Chairperson : No, No. That is not a Bill. That is not concerned with this Bill. (Interruption) Nothing is to be recorded.

कैप्टन अजय सिंह यादव : चेयरमैन सर, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि विपक्षी सदस्यों में से एप्रोप्रिएशन बिल और डिमाण्ड पर कोई नहीं बोला । (विघ्न)

Mr. Chairperson : Majra ji, do you want to speak on Petty Grant? If so, you can speak and you can discuss about the Petty Grants.

श्री रामपाल माजरा : चेयरमैन सर, मैं पेटी ग्रान्टस के बारे में ही कह रहा हूं । पेटी ग्रान्ट्स जो एक लाख की हुई है उसको पांच लाख किया जाए यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

श्री सुभाष चौधरी (पलवल) : चेयरमैन सर, विधायक की तनख्वाह जो दस हजार रुपये है इसको बढ़ाया जाना चाहिए ।

Mr. Chairperson : The discussion is over on this issue. Anybody wants to speak on this issue?

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका) : चेयरमैन सर, विधायक को जो दस हजार रुपये महीना तनख्वाह के दिए जा रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो इसको बन्द कर दिया जाये या इसको बढ़ा दिया जाए । हमें तो अपनी तनख्वाह बताने में भी शर्म आती है क्योंकि दस हजार रूपये महीने से ज्यादा तनख्वाह तो आज क्लास-IV की है । इसलिए विधायक का इतना अपमान नहीं होना चाहिए ।

Mr. Chairperson : What is your view? आपका ओपेनियन क्या है? (Interupption) Subhash Chaudhary ji, what is your suggestion?

श्री सुभाष चौधरी : चेयरमैन सर, मेरा सुझाव यह है कि पेटी ग्रान्ट्स को पांच लाख किया जाए और जो विधायक की तनख्वाह दस हजार रूपये है इसको बढ़ाया जाना चाहिए । हमें अपनी तनख्वाह दस हजार रुपये बताते हुए शर्म आती है या तो इसको 50 हजार रुपये कर दिया जाए या चीफ सैक्रेटरी की तनख्वाह से एक रुपया ज्यादा कर दिया जाए क्योंकि प्रोटोकोल में तो विधायक चीफ सैक्रेटरी से ऊपर होता है ।

Mr. Chairperson : OK, I have listened you and the Minister concerned is noting your comments. The Minister is listening your suggestions and writing down them. Any other suggestion?

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : चेयरमैन सर, हम लोकल एरिया ग्रान्ट को भी बढ़वाना चाहते हैं ।

Mr. Chairperson : What is the opinion of your Party Leader, I want to know?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : चेयरमैन सर, जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है उनके विकास के लिए हमें पैसा चाहिए । तनख्वाह आप बढ़ायें या न बढ़ायें ।

Mr. Chairperson : I want the view of Party President of INLD Mr. Ashok Arora ji and Mr. Abhay Singh Chautala ji. (Interrutpion) That is not a part of the Bill. What do you want to say regarding pension and wages? Do you want to increase?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : चेयरमैन सर, आपने मेरा व्यू पूछा है वह मैंने बता दिया है । तनख्वाह बढ़ाओगे तो अच्छा है अगर नहीं बढ़ाओगे तो भी अच्छा । हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है ।

श्री सभापति : तनख्वाह बढ़ेगी तो अच्छी बात है ।

श्री रामपाल माजरा : चेयरमैन सर, पहले तो आप वित्त मंत्री जी से कहें कि एम.एल.ए. लोकल एरिया डिवलैपमेंट स्कीम को लागू करें । एम.एल.ए. लैड स्कीम बनायें और फिर पेटी ग्रान्ट्स को बढ़ायें । चेयरमैन सर, एम.एल.ए. लैड स्कीम लोगों के लिए होगी और लोगों के विकास के लिए होगी ।

Mr. Chairperson : That is not concerned with this Bill.

श्री रामपाल माजरा : चेयरमैन सर, गांव और शहर का विकास तभी होगा जब एम.एल.ए. के पास कोई स्कीम होगी ।

Mr. Chairperson : That is not concerned with this Bill. You are speaking out of the Bill. What is the opinion of Hon'ble Member Ch. Abhay Singh Chautala ji?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : हमारी पार्टी का ओपिनियन आ गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : सभापति महोदय, कुछ साथियों ने इस बात की डिमांड रखी है कि तनख्वाह 10 हजार रुपये कम है । हमारी पार्टी का सीधा सा स्टैंड है कि जिस तरह एम.पी.एल.ए.डी. एक करोड़ से दो करोड़ और फिर 5 करोड़ रुपये की गई है उसी तरह से हर मैम्बर की ग्रांट को भी बढ़ाया जाए ।

Mr. Chairperson : That is not concerned with this Bill.

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति जी, आप जो पूछना चाह रहे हो वह मुझे पता है । मैं वही बता रहा हूं और कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं । मैम्बर्ज की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय उनके अलाउंसिज बढ़ाए जाएं । उनको ग्रांट दी जाए जिसको वे अपने हल्के में जाकर खर्च कर सकें । इस बारे में मेरे से पहले माजरा जी ने भी कहा है ।

Mr. Chairperson : This is not the part of this Bill.

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति जी, फिर आप इसको छोड़ो । यह कोई जरूरी थोड़ी है ?

Mr. Chairperson : I am asking regarding Pension and Allowances of Members.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सभापति महोदय, हमने जो बात कहनी थी, वह हमने कह दी। हम इस पर कुछ नहीं चाहते । आप इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Chairperson : Whether you want to increase the allowances or not?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सभापति जी, हमने तो कह दिया । आप अपनी भी इस बारे में राय दे दो ।

Mr. Chairperson : I am on the chair.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप चेयर पर भी राय दे सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : मैं एफ.एम. को राय दे रहा हूं कि जो मैम्बर्ज की भावनाएं आई हैं । आप regarding Pension and Allowances of Members उनकी भावनाओं की कद्र करें । (शोर एवं व्यवधान) I am giving you ample time for your suggestion and after that Finance Minister will give reply.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सभापति जी, आप अपनी भी राय दें ।

Mr. Chairperson : I cannot do it. I have no power. I cannot speak out of context.

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : सभापति महोदय, एक सदन जाता है और दूसरा आता है। माजरा जी और अशोक कुमार अरोड़ा जी लगता है डिफरैंट स्टैंड ले लेते हैं । जहां तक मुझे याद है पिछले सदन में पैटी ग्रांट की डिमांड आई थी । पैटी ग्रांट मुख्यमंत्री महोदय ने अपने डिस्क्रिशनरी कोटे से दी । जो सैलरीज बढ़ाने की डिमांड आई थी वह अपोजीशन की तरफ से भी आई थी और अशोक कुमार अरोड़ा जी भी उनके साथ थे । यहां बात एम.पी. ग्रांट की नहीं हो रही। यहां बात सिर्फ एम.एल.एज. के अलाउंसिज वगैरह की हो रही है । सुभाष चौधरी जी ने भी इस बारे में अपने विचार रखे हैं । बेसिक प्रोब्लम कुछ और है । मैम्बर विधान सभा से जब कोई

लोन लेते हैं तो उसकी रिम्बर्समैंट उसको मिलने वाले अलाउंसिज या सैलरीज से नहीं हो सकती । कोई भी सदस्य अगर 40 लाख रुपये का लोन लेता है और उसे महीने में एक लाख, 95 हजार या 70 हजार रुपये भत्ता मिलता है तो उसमें से उसके लोन की रिम्बर्समैंट नहीं हो सकती इसलिए अलाउंसिज चाहे कम हों लेकिन सैलरी पार्ट ज्यादा हो जाए तो मैम्बर को बड़ा रिलीफ मिलेगा । सभापति जी, अलाउंसिज की बात करें तो पार्लियामैंट भी अलाउंसिज बढ़ाती है, राज्य सभा भी बढ़ाती है और हर विधान सभा अलाउंसिज बढ़ाती है । **(इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)** अध्यक्ष महोदय, जो सैलरीज पार्ट है वह बहुत कम है इसलिए मेरी गुजारिश है और सभी मैम्बर्ज की भी राय है कि इसको बढ़ाया जाए । हम चाहे किसी पार्टी से चुनकर आए हों । मैं तो कहना चाहूंगा कि हम सब को लोगों ने चुनकर यहां भेजा है और सभी ने लोगों का भला करना है। एक पक्ष ने कम लोगों का भला करना है और दूसरे पक्ष ने ज्यादा लोगों का भला करना है ऐसी बात नहीं है । यह किसी पार्टी के स्टैंड का प्रश्न नहीं है । यह मैम्बर कंसर्ड बिल है । यह मैम्बर्ज की एक जैनयुन रिक्वैस्ट है । मैजोरिटी आफ मैम्बर्ज कहते हैं कि सैलरीज पार्ट को इन्क्रीज करना चाहिए । जहां तक पैटी ग्रांट की बात है तो मुख्यमंत्री महोदय की मर्जी है कि इसमें बढ़ोतरी करें या नहीं । सभी विधायक अपने विधान सभा के क्षेत्र में जाते हैं । मंत्रियों के पास तो ज्यादा ग्रांट होती है जिसको वे अपने विधान सभा क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं । अगर पैटी ग्रांट को भी बढ़ा दिया जाए तो सारे एम.एल.एज. को भी इसका बैनीफिट हो जाएगा । उसमें अपोजिशन के मैम्बर्ज को भी फायदा होगा । अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी बतरा जी ने जो कहा है उससे मैं भी सहमत हूं कि कॉनसैशश यह बना है कि जो वेजिज दिए हैं, पैंशंज दी हैं या अलाउंसिज दिए हैं उनसे सभी विधायक ईमानदरी से सीनसियरली अपना काम कर सके उसको स्पोर्ट देने के लिए दिए हैं । विधायकों को जो दस हजार रुपये तनख्वाह दी जाती है यह बहुत कम है । आज छठा वेतन आयोग भी लागू हो गया है उसके बावजूद स्थिति नहीं दोहराई है इसलिए इस सुविधा को बढ़ाया जाये। जहां तक पैटी ग्रांट की बात है उसको भी बढ़ाया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने अपने क्लास-1 अधिकारियों को हवाई जहाज में बिजनैस क्लास अलाऊ करके नोटिफिकेशन कर दी है । यदि अब विधान सभा की कमेटी किसी टूर पर जाये तो विधान सभा सक्रेटरी बैठेगा बिजनैस क्लास में और विधायक बैठेंगे इकनोमी क्लास में । अध्यक्ष महोदय, विधायक क्लास-1 आफिसर से प्रोटोकॉल में बड़ा होता है । इतना ही नहीं विधायक प्रोटोकॉल में चीफ सक्रेटरी से भी बड़ा होता है इसलिए इस डिसपैरेटी को दूर किया जाये ।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (तीगांव) : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने विधायकों की तनख्वाह और अलाऊंसिज बढ़ाने के लिए राय दी है । सबकी राय में अपनी भी राय शामिल है । इसके अतिरिक्त मैं एक-दो सुझाव देना चाहूंगा कि मंत्रियों को तो डेढ़ करोड़ रुपये की ग्रांट मिलती है और सारी सुविधाएं भी हैं लेकिन विधायकों और मुख्य संसदीय सचिवों को कोई ग्रांट नहीं मिलती । विधायकों को तो मंत्रियों से भी ज्यादा अपने क्षेत्र में दौड़-धूप करनी पड़ती है । इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि विधायकों को जो एक लाख रुपये पैटी ग्रांट मिलती है वह भी बहुत कम है ।

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]
यदि कोई जरूरत मंद मिल जायें तो यह ग्रांट 15 दिन में ही खत्म हो सकती है बाकी पूरे साल विधायक कहां से जरूरतमंदो की जरूरत पूरी करेंगे । इसलिए पैटी ग्रांट को भी बढ़ाया जाये । अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रो. सम्पत सिंह जी और बतरा जी ने बताया कि विधायक गाड़ी और मकान के लिए जो लोन लेते हैं उसको कानूनी तौर पर भत्तों से नहीं काट सकते । वह केवल सैलरी से ही काट सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि या तो सैलरी इतनी बढ़ाई जाये कि उससे लोन की किस्त कट जाये या इसको बिलकुल बंद कर दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जनता विपक्ष के भी सभी विधायकों से उम्मीद रखती है कि जब भी वे अपने हल्के के गांवों में जायें तो वहां कुछ न कुछ देकर आयें । जिस प्रकार से लोक सभा में एम.पीज. को और दूसरे प्रदेश की विधान सभाओं में विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए ग्रांट मिलती हैं उसी तरीके से एक नई प्रथा हमारे यहां भी शुरू होनी चाहिए जो पहले कभी होती थी । इसको कहीं न कहीं से तो शुरू करनी ही पड़ेगी । हमने शुरू नहीं किया और न ही हमारे साथियों ने किया यदि मुख्यमंत्री जी यह ग्रांट शुरू कर देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अपने प्रदेश में यह कब दी जाती थी ?

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 1991 से 1996 में 50 लाख रुपये की ग्रांट अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए हर विधायक को दी जाती थी ।

श्री अध्यक्ष : यह ग्रांट वापिस किसने ली थी ?

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई गलती हमने कर दी तो उसमें कोई तो सुधार करेगा ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Finance Minister wants to reply your all questions. (Interruption) He has admitted his mistakes.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, आज जितने भी सदस्यों ने यह राय ज़ाहिर की है कि आज कोई भी अच्छी कार 9-10 लाख रुपये में नहीं मिलती । मैं भी इस बारे में यही कहना चाहता हूं इसको देखते हुए कार लोन की अमाऊंट में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, आज विपक्ष के साथियों को सैलरी बिल के ऊपर चर्चा करनी थी । इसके बाद इन्होंने एम.एल.ए. स्कीम की बात भी की। सर, जब वर्ष 1992 में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में सत्तासीन थी उस समय इस स्कीम को लागू किया गया था लेकिन बाद में जब चौधरी बंसी लाल जी और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई तो उस समय इस स्कीम को बंद कर दिया गया था । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कल हाऊस के अन्दर डिमाण्ड्ज़ पर बोलने के लिए आपने सभी मैम्बर्ज़ को अलाऊड किया था लेकिन विपक्ष का कोई भी मैम्बर नहीं बोला । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please don't talk among yourselves and don't disturb the proceedings of the House. Mr. Patwari,

please don't talk. Hon'ble Finance Minister is making a statement. Mr. Finance Minister please continue.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता लेना जानते हैं । अध्यक्ष महोदय, जब हम विपक्ष में हुआ करते थे उस समय मैं Deputy Leader of the Opposition और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी Leader of Opposition हुआ करते थे उस समय हमने यह मांग उठाई थी। (शोर एवं व्यवधान) श्री औम प्रकाश चौटाला उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे इन्होंने उस समय इस बारे में मना किया था कि यह स्कीम नहीं होनी चाहिए और इन्होंने बाकायदा यह कहा था कि इस स्कीम की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डी-प्लॉन होता है ये उसमें दिए जायें। यह रिकार्ड की बात है । आप रिकार्ड मंगवाकर देख लीजिए । कल इसी हाऊस के अन्दर बड़शामी जी ने कहा कि ये बिल बनने चाहिएं । कल चौधरी साहब ने भी कहा कि बिल पर बोलना चाहिए । एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर इतनी सारी डिमाण्डज़ थी जिनके ऊपर आपने हरेक मैम्बर को बोलने के लिए कहा था लेकिन कोई भी विपक्षी साथी नहीं बोला । जब एप्रोप्रिएशन बिल पास होने थे, जब ये एप्रोप्रिएशन बिल पास हो रहे थे उनमें ये डिमाण्ड्ज़ भी दी हुई हैं लेकिन विपक्ष के साथियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं । कल इनके पास बोलने के लिए पूरा मौका था लेकिन इनमें से कोई भी नहीं बोला । इससे पता चलता है कि विपक्ष के साथी हाऊस की डिबेट के प्रति कितने सीरियस हैं । विपक्ष के साथियों के पास बोलने के लिए मौका था लेकिन ये उस समय नहीं बोले । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

Mr. Speaker : As per the new system of passing the Bill in the treasury, only the amount can be deposited to those who have their bank accounts. And I have also received a suggestion regarding the Bills that a week's notice may be given to the Members so that they can participate and bring any good amendments and suggestions. So, this suggestion may kindly be got noted down by the Parliamentary Affairs Minister and this should be adhered to. Now, Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will speak.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, this suggestion has already been noted down. Sir, we have circulated the Bills a week in advance and if some Members have not got the same, as Mr. Barshami has said, we will ensure that the Secretariat will make necessary arrangements to circulate the Bill a week in advance alongwith the principal Act.

श्री शेर सिंह बड़शामी : धन्यवाद ।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, जो हमने मौजूदा बिल पास किये हैं मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि कल एक माननीय सदस्य जो नये भी हैं और नौजवान भी हैं उन्होंने यह कहा था कि एक एम.एल.ए. को केवल 10 हज़ार रुपये मासिक सैलरी के रूप में मिलते हैं । स्पीकर सर, यह बात सही है कि हरियाणा के एम.एल.एज़. को 10 हज़ार रुपये प्रति मास सैलरी के रूप में मिलते हैं लेकिन इसके साथ यह भी नोट करने वाली बात है कि नवम्बर, 1966 से लेकर पिछले बजट सैशन से पहले तक हरियाणा के एम.एल.एज़. को कोई सैलरी नहीं मिलती थी । इसलिए पहली बार पिछले बजट सत्र के दौरान सैलरी बिल लाया गया जिसका इस बार अमैंडिंग बिल आया है, इसके बाद एम.एल.एल. को सैलरी मिलने लगी । मैं एक बात सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एम.एल.एज़. को 10 हज़ार रूपये प्रति मास सैलरी मिलती है, 1500/- रुपये प्रतिदिन डी.ए. मिलता है, 20 हज़ार रुपये प्रति मास कांस्टीच्युएंशी अलाऊंस के रूप में मिलते हैं, 5 हज़ार रुपये ऑफिस अलाऊंस के रूप में मिलते हैं, कम्पनसैंटरी अलाऊंस 5 हज़ार रुपये प्रति महीना मिलता है । इसी प्रकार से सैक्रिटेरियट अलाउंस 10 हजार रुपये प्रति माह मिलता है, टेलिफोन अलाउंस 10 हजार रुपये प्रति माह मिलता है और कार एडवांस के तौर पर 10 लाख रूपये मिलते हैं । इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए 40 लाख रुपये एडवासं मिलते हैं । 2 लाख रूपये ट्रांस्पोर्ट अलाउंस के तौर पर मिलते हैं । कुल मिलाकर 52,000/- रुपये प्रति माह एक सदस्य को सैलरी और अलाउंसिज के रूप में मिलते हैं और जो मैम्बर साहेबान कमेटी के सदस्य हैं जब वे आते जाते हैं उनका हमने मोटे तौर पर मिलाकर देखा है, उसमें लगभग 40 से 55 हजार रुपये प्रति माह भी मिलते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी मीटिंग्ज हैं । कई सदस्यों श्री नसीम अहमद, श्री सुभाष चौधरी, श्री कृष्ण पाल गुर्जर, श्री भारत भूषण बतरा, श्रीमती सुमिता सिंह, चौधरी सम्पत सिंह ने भी इस पर चर्चा की है। श्री अशोक अरोड़ा साहब ने कहा कि मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, यह उनका अधिकार है। इसी प्रकार से श्री अभय चौटाला जी ने भी कहा कि मैं सैलरी अलाउंस बढ़ाने पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, यह भी उनका अधिकार है परन्तु श्री रामपाल माजरा जी और उनके दूसरे साथियों ने अपने सुझाव दिये हैं । इस डिस्कशन से हाउस में जो कंसैंशश अमर्ज हुआ है, जो मुझे समझ में आया है उससे दो बातें सामने आई हैं । एक तो जो पैटी ग्रांट देते हैं जो पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने इन्ट्रोड्यूश की थी वह एक लाख रुपये की राशि हर सदस्य को सालाना दी जाती है, वह अब बैंक के द्वारा दी जायेगी जैसा कि आपके पास सुझाव भी आया था, वह और किसी विधायिका में नहीं है, उसको बढ़ाया जाये । दूसरी बात सैलरी के बारे में है जैसा कि श्री नसीम अहमद जी कह रहे थे । Perhaps he and Anil Dhantori Ji are the youngest Members of the House, उन्होंने यह कहा था कि 10 हजार रुपये प्रति माह की सैलरी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए । उनकी भावना यह थी जो मुझे समझ में आई कि सैलरी बढानी चाहिए । स्पीकर सर, आदरणीय मुख्य मंत्री जी से और आरणीय वित्त मंत्री जी, दोनों से हमने इस बारे में चर्चा कर ली है

और मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से चर्चा के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि सदस्यों की पैटी ग्रांट वर्ष 2011-12 से हम 1 लाख से बढ़ा कर 2 लाख रुपये कर देंगे । सैलरी भी वर्ष 2011-12 से 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह कर देंगे ।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाऊंसिज एण्ड पैंशन ऑफ मैंबर्ज) अमैण्डमैंट बिल, 2011 (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Question is-

The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 13

Mr. Speaker : Question is-

That Clauses 2 to 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड एलाउंसिज (अमैंडमैन्ट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा सैलरीज एण्ड एलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैन्ट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि पंजाब लैंड रिवैन्यू (हरियाणा) अमैंडमैंट बिल, 2011

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Shri Satpal Sangwan) : Sir, I beg to introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Satpal Sangwan) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) दि हरियाणा फिस्कल रिसपोंसिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

> That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

> That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause-1

Mr. Speaker : Question is-

> That Sub-Clause (2) of Clause-1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause-1

Mr. Speaker : Question is-

> That Sub-Clause (1) of Clause-1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

> That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बेसिकली यह जो बिल है this is a very important Bill. I just want to say few things about it. The basic attitude is to attain zero revenue deficit target from 2011-12 and maintain same till 2014-15, to achieve the fiscal deficit 3% of GSDP from 2010-11 and maintain the same till 2014-15. The basic aim is that we may come to zero deficit till the year 2014-15. So, this is a very important Bill.

Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carrid.

(viii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कोरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Now, the Minister of States for Home will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 प्रस्तुत करता हूं -

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं -

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं ला एंड ऑर्डर पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप सिर्फ इस बिल पर ही बोल सकते हैं। The Bill is under consideration. आप बैठ जाएं।

श्री शेरसिंह बड़शामी (लाडवा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा देश प्रजातंत्र प्रणाली का देश है । भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र में लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है ताकि लोगों की भागीदारी उसमें हो सके और वे अपने ढंग से अपने हक और हकूक की रक्षा करें । इसी प्रकार प्रदेशों के अन्दर विधान सभा और विधान परिषद का प्रावधान इसीलिए दिया गया है ताकि प्रजातंत्र प्रणाली के लोग चुनकर के आयें और वे स्वंय अपनी सरकार को चलायें । इसी प्रकार निचले स्तर पर स्थानीय निकायों का प्रावधान दिया गया है जिसके तहत हमारी पंचायतों का गठन हुआ है, कमेटियों और कारपोरेशंज का गठन हुआ है । अब सदन के पटल पर जो बिल है वह कारपोरेशन की अमेंडमैंट का बिल है। मैं जब से इस सदन के अन्दर आया हूं लगभग हर अधिवेशन के अन्दर, हर सैशन के अन्दर यह बिल लाया जाता है क्योंकि इसके प्रिंसीपल एक्ट के अन्दर दर्शाया गया है कि जब किसी कारपोरेशन की नोटिफिकेशन हो उसके छः महीने के अन्दर उसके चुनाव करा देने चाहिएं। लेकिन समय समय पर छः-छः महीने की उसकी अवधि बढ़ा कर के आज इसको तीन साल तक लाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है । मैं यह कहूंगा कि इससे जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया जा रहा है और जो काम वहां पर कारपोरेशन के द्वारा चलाया जा रहा था उसकी एक कमेटी का गठन किया गया है । उस कमेटी के अन्दर भी सारे ही अधिकारियों को शामिल किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि उस कमेटी के अन्दर जनता के लोगों को भागीदारी दी जानी चाहिए ताकि वे अपने ढंग से कम से कम जब तक चुनाव न हों उसको सुचारू ढंग से चला सकें और लोगों के हित के काम कर सकें । आगे इसमें बढ़ा-बढ़ा करके इसको न ले जाया जाये । हरियाणा प्रदेश के अन्दर पांच-छः कारपोरेशंज हैं जो आधे हरियाणा को कवर करती हैं । मैं यह समझता हूं कि इसके लिए बार-बार अमेंडमैंट का बिल लाकर के आधे हरियाणा को उसके हकों से बार-बार वंचित किया जा रहा है । जो भविष्य में नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम) : स्पीकर सर, म्यूनिस्पिल कमेटीज जहां अब निगम भी बन गये हैं हमारी शहरों और कस्बों की इम्प्रूवमैंट के लिए और डिवलैपमैंट के लिए सारा काम करने के लिए बनाई जाती हैं । अगर पुराने हिसाब से हम देखें तो अब आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत वाईड-स्प्रैड हो गई है । वोट तो वे कमेटी के अन्दर डालते हैं लेकिन आऊटर होने की वजह से उनकी डिवलैपमैंट नहीं हो पाती। अगर कोई एरिया कमेटी के एप्रूवड एरिया से बाहर है तो उस कमेटी में कोई काम नहीं हो पाता। मेरा सदन से, सरकार से और मंत्री जी से यही निवेदन है कि जितनी भी आऊटर कालोनीज हैं उनका एक लाल डोरा जैसे देहात में होता है उसी प्रकार से नये हिसाब से फिक्स करके जितनी भी वहां पर अब बस्ती है उसको कमेटी या निगम के अन्दर हर हालत में एप्रूव कर दिया जाए । जो लोग वहां पर कमेटी में वोट डालते हैं उनकी भी हिस्सेदारी होती है ताकि उस हिसाब से उनकी डिवलैपमैंट बराबर हिसाब से की जाए । इसमें किसी प्रकार का कोई डिले न किया जाए क्योंकि यह मामला बहुत लम्बे समय से पैंडिंग चल रहा है इसको जितना जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि इतना बुरा हाल है कि शहर का नाम है लेकिन वहां की गलियों की इतनी बदत्तर हालत है कि वहां पर न सीवर है, न कोई गलियां हैं और न नालियां हैं, कोई सिस्टम नहीं है । उनको एप्रूव किए बगैर वहां पर कोई काम नहीं किया जा

[श्री आनन्द सिंह दांगी]
सकता । उनकी डिवलैपमैंट नहीं हो सकती। एक सिस्टम और प्रोग्राम बनाकर के इनको जल्दी से जल्दी एप्रूव किया जाए । मेरा यही निवेदन है ।

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : धन्यवाद स्पीकर सर । स्पीकर सर, हमारे हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो म्युनिस्पिल कारपोरेशंज, म्यूनिस्पिल काउंसिलज और म्यूनिस्पिल कमेटीज हैं मैं उनकी कुछ कार्य प्रणाली की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। स्पीकर सर, पहले पूरे हरियाणा राज्य में 1410 रुपये प्रति वर्ग गज व्यावसायिक विकास शुल्क लिया जाता था और उसके ऊपर हर वर्ष 10 प्रतिशत की इन्क्रीमैंट का प्रोविजन था । लेकिन स्पीकर सर, अब सीधा सीधा पांच-छ: गुणा की वृद्धि कर दी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : I am sorry to say, Sir, that this issue is not under deliberation.

Mr. Speaker : Yes, this is not the issue under deliberation.

Shri Randeep Singh Surjewala : This is a Bill. She has to make a distinction between a Bill and a discussion of issues relating to constituencies. You have to protect that. How will we train the Members, if we will not make distinction between a Bill and a discussion on issues relating to constituencies?

Mr. Speaker : Kavita ji, you restrict yourself to the wires of the Bill.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मेरे पास कल एक लैटर आया है उसमें लिखा हुआ है कि आप रैलीवेंट बिल पर बोल सकते हैं । मैंने इसी टोपिक पर एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था । उसके संदर्भ में मेरे पास लिखित में एक लैटर आया है।

Mr. Speaker : The Bill is under discussion. Please restrict to that.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, ठीक है अगर आप इस बारे में मेरी बात नहीं सुनना चाहते। स्पीकर सर, एप्रोप्रिएशन बिल पर भी मैंने दो बार अपना हाथ उठाया था लेकिन उस समय भी मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप बोल लीजिए लेकिन that will not be the part of the discussion.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय,*******

श्री अध्यक्ष: कविता जी जो कुछ कह रही हैं वह रिकार्ड न किया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, ******(शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलो मैं कह रहा हूं लेकिन यह रिकार्ड नहीं हो रहा है । (शोर एवं व्यवधान) Resume your seat.

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे यह पहले बोलना चाहिए था लेकिन मैं लेट हो गई । आपने एक स्लिप से अनाउंस किया था कि यह जो पैटी ग्रांट है। इसको जब आप डिसबर्स करेंगें तो यह बैंक में जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, एक गरीब आदमी अस्पताल में मर रहा है । उसका बैंक अकाउंट नहीं है तो उसको कैसे यह मदद मिल पाएगी । आज के दिन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Sumita ji, these are the rules. It is not that I am making the rule. These rules are already there.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रही हूं कि हम गरीब आदमी को 5 हजार या 21 हजार रुपये देते हैं और उसका बैंक अकाउंट नहीं है तो वह अमाउंट उस गरीब आदमी के पास कैसे जाएगी । चूंकि आज के दिन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने मिनिस्टर्स के लिए यह किया हुआ है कि अगर वे 10 हजार रुपये से ऊपर कहीं पैसा देते हैं तो वे बाय चैक देते हैं और 10 हजार रुपये से नीचे देते हैं तो बाय कैश दिया जाता है । इसी प्रकार एम.एल.एज. के लिए भी ऐसा ही हो सकता है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात क्लीयर करना चाहता हूं । जैसा बहन जी ने कहा कि जो पैसा हम किसी को भी किसी काम के लिए देते हैं तो उसका रिकार्ड कैसे मैंटेन करेगें । क्या उसके नाम से हम विधान सभा में लिखकर देंगें ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए बकायदा हम इनसे रसीद ले लेंगे । जैसे मिनिस्टर्स के लिए है कि 10 हजार रुपये से ऊपर वे चैक देते हैं और 10 हजार रूपये से कम वे कैश देते हैं उसी प्रकार से एम.एल.एज. के लिए कर देंगें । कहीं 10 हजार से ऊपर की राशि देनी होगी तो उसके लिए चैक साइन करना पड़ेगा ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : वित्त मंत्री जी, आपके पास तो डेढ़ करोड़ रुपये होता हैं । हमें कहीं 500 रुपये देने पड़ते हैं और कहीं 1000 रुपये देने पड़ते हैं इसलिए उसका लेखा जोखा कैसे होगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह बात हम सिर्फ पैटी ग्रांट के बारे में कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, बड़ी सिम्पल सी बात है कि आपने कोई पैसा किसी को दिया और उसकी रसीद भेज दो । आपको पैसा दे देंगें ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, हम ये पैसा किन-किन परपज के लिए यूज कर सकते हैं । (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप किसी भी गरीब आदमी को शादी के लिए या आपदा हो जाने पर तथा आग लगने पर दे सकते हो ।

श्री अध्यक्ष : क्या किसी स्पोर्ट्स क्लब को दे सकते हैं जैसे क्रिकेट क्लब हैं या दूसरे स्पोर्ट्स क्लब हैं, उनको दे सकते हैं ?

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, क्या गऊशाला में यह अमाउंट दे सकते हैं या किसी टूर्नामैंट में जायें तो वहां दे सकते हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें बाकायदा इस तरह का रूल बना देंगे कि गऊशाला, स्पोर्ट्स क्लब, शादी के लिए, आपदा आने पर या आग लगने पर गरीब आदमियों को आप लोग दे सकते हो । इस तरह के जो नॉर्म्ज बनायेंगे उसकी कापी हम सभी मैंबर्ज को सरकुलेट कर देंगे ।

श्री प्रदीप चौधरी (कालका) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमैंडमैंट बिल लाया जा रहा है और अब जो नगर निगम बनाने की बात की जा रही है उससे संबंधित जो मामला है वह न्यायालय में लम्बित है । लेकिन इस समय अगर पंचकूला नगर परिषद की बात करें 6 महीने से ऊपर का समय हो गया वहां म्यूनिसिपल काउंसिलर्ज की मीटिंग नहीं हुई । इसके अतिरिक्त कालका नगर पालिका में स्टाफ की बड़ी भारी कमी है और आर्थिक रूप से भी कालका नगर पालिका बहुत कमजोर है । पंचकूला में बहुत फंड पड़ा है वहां म्यूनिसिपल काउंसिलर्ज की मीटिंग न होने के कारण उस फंड का कहीं यूज नहीं हो रहा है । प्रशासन ने स्वयं संभाला हुआ है । जब तक नगर निगम नहीं बनता तब तक म्यूनिसिपल काउंसिलर्ज को जो सुविधाएं हैं वे उनको मिलनी चाहिएं और कालका नगर परिषद में जो स्टाफ खाली है उसको भरा जाये ।

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भूल गया था इसमें एक बात रह गई है । इसकी क्लाज-3 में लिखा है- "In sub-section (5) of section 11 of the principal Act, for the words 'office of Mayor', the words 'offices of Mayor' shall be substituted", जो तरमीम है उसमें आफिसिज ऑफ दी मेयर की जगह आफिस ऑफ दी मेयर आना चाहिए । इसमें आगे जो चुनाव का तरीका दर्शाया गया है उसमें जनरल कैटेगरी का, एस.सी. का, बैकवर्ड क्लास का और वूमैन का होना चाहिए और जो रिजर्वेशन का तरीका दर्शाया गया है वह रोटेशन एंड बाई लौट्स दर्शाया गया है । अध्यक्ष महोदय, पीछे जो जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों के जो चुनाव हुए इसमें लौट्स सिस्टम की वजह से कई जगह बहुत गड़बड़ी हुई तथा न्यायालय के अंदर सरकार के खिलाफ कई केस हुए । क्योंकि लौट्स में अधिकारी अपनी मनमानी कर जाते हैं । ये केवल 5-6 कारपोरेशन हैं । मेरा इसमें सुझाव यह है कि रोटेशन ऑन मैरिट होना चाहिए, यह 'Lots' शब्द नहीं होना चाहिए ताकि नम्बरवाईज सभी का नम्बर आये । This is my suggestion.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातों के बारे में जवाब देना चाहूंगा कि एक तो बड़शामी जी ने जो सुझाव दिए हैं वे इस

अमैंडिंग बिल पर नहीं हैं, इससे बाहर हैं। So, he can bring his own Private Member's Bill. There is no difficulty, we will consider that. दूसरा इन्होंने जो clause-3 में in sub section 5 of section 11 of the principal Act के बारे में बात की है कि 'आफिसिज ऑफ मेयर' शब्द का यूज किया गया है, उसके बारे में हमने एल.आर. आफिस से राय ली थी क्योंकि पहले एक कारपोरेशन होती थी और now the number of Corporations has gone up that's why it is 'offices of Mayor'. I have noted his suggestion qua the system of lots. That is something that the Government has taken a conscious decision about that, Sir. When you say 'Lots' instead of 'Lots of merits' then merit will be decide based on what ? It is based on population, based on geographical area, based on rotation. What it will be decided? That is a matter of debate and it is a matter of public policy. Public policy is decided in his wisdom by the Government and we feel that the system of lots is, where nobody can feel discriminated against. Otherwise, sometimes years after years, terms after terms, the same ward will remain reserved. So, we want that the benefits should go to a large number of people and that is why the system of lots have been started So, with due respect to the Hon'ble Member, I want to say that I do not agree with him as this is a subject matte of policy.

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Barshami, your suggestion has been noted down. Now, please take your seat. Now, Smt. Sumita will speak.

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, *********

Mr. Speaker : No. Nothing is to be recorded. Sumita Singh ji, please be seated.

Mr. Speaker : Question is-

> **That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

> That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Minister of State for Home will move that the Bill be passed.

Minister of State for Home (Shri Gopal Kanda) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ix) दि हरियाणा कंटीजैंसी फण्ड (अमैण्डमैंट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हमने कंटीजैंसी बिल में कंटीजैंसी फण्ड को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया है । अनेक कारणों से ऐसा किया जाना जरूरी हो गया था जैसे पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को ईनाम देने की अनाऊंसमैंट की गई तो हमें हुडा से पैसे लेने पड़े । इसी प्रकार से कभी-कभी ऐसी रिक्वायरमैंट्स आ जाती हैं जिन्हें तुरन्त पूरा करना जरूरी हो जाता है या कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी सैंट्रल ऐडिड स्कीम में सैंट्रल गवर्नमैंट की ग्रान्ट समय पर नहीं मिल पाती। इसलिए यह अमाऊंट बढ़ाई गई है ताकि इस प्रकार की परिस्थितियों में इंटरनल ऐडजस्टमैंट हो सके ।

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

14.00 बजे

(x) दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Now the Excise and Taxation Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2011 and will also move the motion for its consideration.

Excise and Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब एक्साईज ऐक्ट में जो सैक्शन 66 दी है यह एक ऐसा सैक्शन है जिसके तहत अधिकारियों को अनलिमिटिड पॉवर देने का काम किया गया है। इसमें वे ऑफेंसिज लिये जाते हैं जिनका इस पूरे एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं है। उसमें जो भी अधिकारी उसको पकड़ते हैं वे 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। चाहे किसी के सारे कागजात पूरे हों लेकिन संबंधित अधिकारी उसको यह कह कर डराता है कि सैक्शन 8 के तहत मैं तेरे ऊपर पैनल्टी लगा सकता हूं। अब उस पैनल्टी को 10 हजार से बढ़ा कर 50 हजार और आगे ज्यों–ज्यों वह जुर्म करेगा उस पैनल्टी को एक लाख तक बढ़ाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस बिल के तहत एक अधिकारी की पॉवर इतनी बढ़ती जा रही है कि एक आदमी पाक, साफ हो तो भी उस पर वह अधिकारी जुर्माना कर सकता है और अगर वह जुर्माना नहीं भी करना चाहेगा तो कुछ ले–देकर रफा–दफा भी कर सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस सैक्शन को पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाये तो बेहतर होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि अगर इसका पहले सर्वे करवाया जाता है कि पिछले सालों में सैक्शन 8 के तहत कितने लोगों पर पैनल्टी लगी है तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि यदि एक ही जुर्म के अन्दर पैनल्टी लगी है तो उसको इस क्लॉज के अन्दर इन्सर्ट कर देना चाहिए था न कि 68 में उसकी पॉवर बढ़ाने का काम करना चाहिए था। उसका प्रावधान ऐक्ट में दिया जाना चाहिए था ताकि ऑफिसर अपनी मनमानी न कर पाये। पिछले आंकड़े देख कर, उसका सर्वे करवा कर फिर उसके बाद यह अमैंडमैंट यहां पर लाई जानी चाहिए थी। यदि किसी एक कैटेगरी के जुर्म ज्यादा पाये गये हैं तो उनका प्रावधान ऐक्ट में कर देना चाहिए था न कि इस गोलमोल ऐक्ट के तहत करना चाहिए था।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह इसलिए किया गया है कि This is an Act which is almost O.K. स्पीकर सर, यह ऐक्ट इतना पुराना था जिसकी कि पैनल्टी पहले 200 रुपये थी और फिर कई साल पहले उसको बढ़ा कर 10,000/– रुपये कर दिया गया था and that was not acting as a deterrent. हमारी सरकार वचनबद्ध है कि हम सिस्टम को ट्रांस्पैरेंट करना चाहते हैं। जो गलत काम करता है जो स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहता है और जो स्मगलिंग और दूसरे गलत काम करना चाहता है उसके ऊपर ऐसा डैटैरेंट लगे कि अगर वह दोबारा से वह काम करे तो दस बार सोचे। इसमें जो एक लाख पैनल्टी की है यह इसलिए की है कि अगर कोई दूसरी बार गलती करता है तो उसके ऊपर एक लाख रुपये की पैनल्टी लगेगी ताकि कोई दूसरी बार गलती करने से पहले 20 बार सोचे। (शोर एवं व्यवधान) दूसरी बात यह है कि यह प्रौविजन अनेबलिंग करने के लिए यह अमैंडमैंट लाया गया है। This is meant for that purpose. क्योंकि जहां पर नहीं था वहां पर इसको अनेबल करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

शेर सिंह बड़शामी : अगर कोई जुर्म इस नेचर का है तो उसका प्रावधान ऐक्ट में क्यों नहीं कर देते ?

Smt. Kiran Chaudhary : We have got an amendment to the same effect. This is meant for those offences which are not provided otherwise all are under that.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो बात शेर सिंह बड़शामी जी ने कही है उसमें मुझे लगता है कि उनके कहने में और बिल में कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है। यह बिल जो अमैंडमैंट किया जा रहा है उसमें पॉवर दी जा रही है। जहां तक ऑफैंसिंज की बात है तो जब इसके रूल्ज एण्ड रैगुलेशन बनेंगे तो उसमें ऑफैंसिज डिसाईड करेंगे। ये आर्बिट्रेरी नहीं है। ऑफैंसिज रूल्ज में होते हैं ऐक्ट में नहीं होते। औफैंसिज को डिसाईड महकमा करेगा। (Interruption)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : You have not sought my permission. Have you sought my permission?

Shri Sher Singh Barshami : Sir, I am asking for permission.

Mr. Speaker : Let him finish.

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जहां तक बिल की बात है मेरी भावना यही है और मैं मैडम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि जब ये रूल्ज बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें और उन ओफैंसिज को बाकायदा डिफाइन करें । धन्यवाद, सर।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, अगर रूल्ज को डिफाइन करने की बात है तो फिर उनके लिए एक स्पैसिफिक सैक्शन क्यों न बना दिया जाए। जब पता है कि इस तरह के ओफैंसिज आएंगे तो उनकी एक क्लाज अलग से बना देनी चाहिए न कि इस गोलमोल सैक्शन के अंदर रखें । यह मेरी रिक्वैस्ट है ।

Mr. Speaker : Question is-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Excise & Taxation Minister will move that the Bill be passed.

Excise & Taxation Minister (Smt. Krian Chaudhary): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xI) दि पंजाब न्यू कैपीटल (पैरीफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैण्डमैन्ट) बिल, 2011

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2011 and will move the motion for its consideration.

P.W.D. B&R Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

P.W.D. B&R Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, there is a typographical error in Clause 2. I want to bring an amendment in Clause 2.

Mr. Speaker : Alright, you may move your motion.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I beg to move-

> That in Clause 2 of the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2011 in the proposed sub-section(1) of section 6, for the word and figure "section 5", the word, figures and sign "section 5/11" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That in Clause 2 of the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2011 in the proposed sub-section(1) of section 6, for the word and figure "section 5", the word, figures and sign "section 5/11" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is-

> That in Clause 2 of the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2011 in the proposed sub-section(1) of section 6, for the word and figure "section 5", the word, figures and sign "section 5/11" shall be substituted.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 3 to 6

Mr. Speaker : Question is-

That Clauses 3 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am highly thankful to all of you for extending cooperation to me for smooth conducting of the proceedings of the House. I am also thankful to all the press representatives, Government officers and the staff of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present Session.

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the House stands adjourned sine die.

*14.10 Hrs. (The Sabha then *adjourned sine die.)